

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी, तहसील स्वारघाट, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के लेखाओं

का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1-01-2014 से 31-12-2016

भाग – एक

1 (क) प्रस्तावना :-

हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) (ग) (2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या भाषा (A) 3-3/85-पार्ट-II दिनांक 17-01-1989 के दृष्टिगत, मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी के अवधि 1.1.2014 से 31.12.16 के लेखाओं का अंकेक्षण इस विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान मन्दिर न्यास श्री नयना देवी के महत्वपूर्ण पदों पर निम्नलिखित अधिकारी कार्यरत रहे हैं:-

(i) उपायुक्त बिलासपुर एवं आयुक्त श्री नयना देवी जी मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	अवधि
1	डॉ० अजय शर्मा	1-01-2014 से 31-10-2014
2	श्रीमती मानसी सहाय ठाकुर	1-11-2014 से 6-07-2016
3	श्री रिग्वेद मिलिंद ठाकुर	6-07-2016 से लगातार

(ii) उपमंडलाधिकारी (ना) बिलासपुर एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	अवधि
1	डॉ० एम० एल० मेहता	1-01-2014 से 15-06-2015
2	डॉ० हरीश गज्जू	15-06-2015 से 31-12-2016

(iii) मन्दिर अधिकारी मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री मदन शर्मा	1-01-2014 से 31-10-2015
2	श्री जसपाल	1-11-2015 से 8-03-2016
3	श्री मदन चन्देल	9-03-2016 से लगातार

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्र०सं०	पैरा सं०	विवरण	राशि(लाखों में)
1	5 (ख)	सोने की 0.001 ग्राम मात्रा का दुरुपयोग करने बारे	-
2	6 (ख)	चांदी की 2 किलो 091 ग्राम 100 मिली ग्राम	-

		मात्रा का दुरुपयोग करने बारे	
3	12	बैंकों द्वारा ब्याज में से स्त्रोत पर काटे गये टी० डी० एस० की कटौती की वसूली न करना	61.97
4	13	पुजारी शेयर के रूप में अधिक भुगतान	26.45
5	14	कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान के रूप में अधिक भुगतान	9.37
6	16	अग्रिम का समायोजन न करना	10.00
7	19	गलत वेतन निर्धारण करने के कारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (एम० पी० डबल्यू०) को वेतन व भत्तों के रूप अधिक भुगतान	4.10
8	20	श्री राजिंदर कुमार, चपरासी का गलत वेतन निर्धारण करने के कारण वेतन व भत्तों के रूप में अधिक भुगतान	1.36
9	21	गलत वेतन निर्धारण के कारण कनिष्ठ अभियन्ताओं को वेतन व भत्तों के रूप में अधिक भुगतान	3.83
10	22	गलत वेतन निर्धारण के कारण अरविन्द शोरी, वरिष्ठ सहायक को वेतन व भत्तों के रूप में अधिक भुगतान	0.39
11	23	गलत वेतन निर्धारण के कारण श्री वीरेंदर सिंह, वरिष्ठ सहायक को वेतन व भत्तों के रूप में अधिक भुगतान	0.40
12	24	गलत वेतन निर्धारण के कारण श्री केवल कृष्ण लिपिक को वेतन व भत्तों के रूप में अधिक भुगतान	0.50
13	26	गलत वेतन निर्धारण के कारण अजीत कुमार, नौबती को वेतन व भत्तों के रूप में अधिक भुगतान	0.50
14	27	गलत वेतन निर्धारण करने के कारण सफाई	0.25

15	28	कर्मचारियों, चपरासी, निगरान व लांगरी को वेतन व भत्तों के रूप में अधिक भुगतान गलत वेतन निर्धारण करने के कारण श्री परमानन्द, ड्राफ्ट्समैन को वेतन व भत्तों के रूप अधिक भुगतान	0.24
16	30	लाखों रुपए की दान में प्राप्त सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करके दुर्विनियोजन करना	-
17	31	मन्दिर न्यास द्वारा सामान को क्रय करने से पूर्व आवश्यक एवं निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण न करना व क्रय सामान की स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्रविष्टियां व खपत/ जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख मौजूद न होना	0.60
18	32	बाल विकास परियोजना अधिकारी को अनियमित हस्तांतरण	1.17
19	33	6 क्विंटल गिल्ट की नीलामी में पाई गई अनियमितताएँ	-
20	38	खरीदे गये दूध में खराब गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार कटौती न करके अधिक भुगतान करना	0.35
21	41	संस्कृत कॉलेज की छात्र निधियों से अनियमित भुगतान	2.24

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत अनुछेदों / पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने उपरान्त अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट – (क) पर दिया गया है ।

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी के अवधि 1.1.2014 से 31.12.2016 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण/ जाँच परीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुछेदों में दिए गए हैं । श्री राज

कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 12-12-2017 से 21-02-2018 तक, श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 1-11-2017 से 21-02-2018, श्री मोहिंदर कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 20-11-2017 से 10-12-2017, श्री पुनीत शर्मा, आर्टिकल सहायक, द्वारा दिनांक 1-11-2017 से 21-02-2018 व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 12-12-2017 से 21-02-2018 तक दौरान श्री नयना देवी जी में किया गया ।

आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 8/14, 8/15, 8/16 तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह 7/14, 7/15 व 8/16 का चयन किया गया । मन्दिर न्यास द्वारा संचालित दुकानों के लेखों की आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 6/14, 3/15 व 8/16 तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह 12/14, 4/15 व 12/16 का चयन किया गया ।

इस प्रतिवेदन को मन्दिर न्यास के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। मन्दिर न्यास द्वारा प्रदान की गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी के अवधि 1.1.2014 से 31.12.16 तक के लेखाओं के अंकेक्षण एवम निरीक्षण का अंकेक्षण शुल्क ₹232600 आँका गया। मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास श्री नयना देवी से अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 49 दिनांक 21-02-2018 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 हिमाचल प्रदेश को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुरोध किया गया ।

4 वित्तीय स्थिति :-

(क) मन्दिर न्यास श्री नयना देवी के अवधि 1.01.2014 से 31.12.2016 तक के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विवरण परिशिष्ट - (ख) पर भी दिया गया है ।

वर्ष 2014

1-01-2014 को प्रारम्भिक शेष	264957439.46
वर्ष के दौरान चढ़त के रूप में प्राप्त आय	172598413.10
बचत खातों व सावधि पर प्राप्त ब्याज	24358205.78
कुल योग	461914058.34
वर्ष के दौरान किया गया व्यय	107638759.81

दिनांक 31-12-2014 को अन्त शेष 354275298.53

वर्ष 2015

1-01-2015 को प्रारम्भिक शेष	354275298.53
वर्ष के दौरान चढ़त के रूप में प्राप्त आय	169876968.94
बचत खातों व सावधि पर प्राप्त ब्याज	31325244.93
कुल योग	555477512.40
वर्ष के दौरान किया गया व्यय	156455316.14
दिनांक 31-12-2015 को अन्त शेष	399022196.26

वर्ष 2016

1-01-2016 को प्रारम्भिक शेष	399022196.26
वर्ष के दौरान चढ़त के रूप में प्राप्त आय	177846248.43
बचत खातों व सावधि पर प्राप्त ब्याज	34085433.40
कुल योग	610953878.09
वर्ष के दौरान किया गया व्यय	121381981.10
दिनांक 31-12-2016 को अन्त शेष	489571896.99

(ख) दिनांक 31-12-2016 को अन्त शेष राशि का विवरण निम्न प्रकार से है (परिशिष्ट – घ):-

सावधि जमा में निवेशित राशि	350412194.27
बचत खातों में जमा राशि	137807652.72
हस्तगत राशि	1372146.00
योग	489591992.99
घटाव:- चैक जारी किए गए लेकिन दिनांक 31-12-2016 तक	(-) 20096
बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए	
दिनांक 31-12-2016 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष	489571896.99

(i) दिनांक 31-12-2016 तक सावधि निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट - ग पर दिया गया है :-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	राशि
1	भारतीय स्टेट बैंक शाखा श्री नयना देवी जी	176541915.00

2	भारतीय स्टेट बैंक शाखा श्री नयना देवी जी (विदेशी मुद्रा)	6996456.00
3	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शाखा नयना देवी जी	117756574.00
4	एच० डी० एफ० सी० बैंक शाखा आनंदपुर साहिब	41805995.27
5	पंजाब नेशनल बैंक बिलासपुर	7311254.00
कुल योग		350412194.27

(ii) बचत खातों में जमा राशि का विवरण निम्न प्रकार से है (परिशिष्ट – ग)

क्र०सं०	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	भारतीय स्टेट बैंक शाखा श्री नयना देवी जी	11530527497	23621333.91
2	भारतीय स्टेट बैंक शाखा श्री नयना देवी जी (विदेशी मुद्रा)	33896637024	5487293.00
3	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शाखा नयना देवी जी	11510100001	12612790.41
4	एच० डी० एफ० सी० बैंक शाखा आनंदपुर साहिब	14271450000129	95149580.46
5	पंजाब नेशनल बैंक बिलासपुर	3382000108899690	936654.94
कुल जमा राशि			137807652.72

(iii) दिनांक 31-12-2016 तक चैक जारी किए गए परन्तु बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए (परिशिष्ट –घ) :-

क्रम संख्या	चैक संख्या	जारी करने की तिथि	राशि
1	989723	15-12-2016	4805
2	989737	29-12-2016	3468
3	989742	30-12-2016	8650
4	989743	30-12-2016	3173
कुल योग			20096

(ग) मन्दिर न्यास द्वारा संचालित दुकान की अवधि 1-01-2014 से 31-12-2016 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है (परिशिष्ट ख):-

वर्ष 2014

दिनांक 1-01-2014 को आरम्भिक शेष	60085.42
वर्ष के दौरान प्राप्त आय	13835369
वर्ष में प्राप्त ब्याज	63624
कुल योग	13959078.42
वर्ष के दौरान किया गया व्यय	13867846.00
दिनांक 31-12-2014 अन्त शेष	91232.42

वर्ष 2015

दिनांक 1-01-2015 को आरम्भिक शेष	91232.42
वर्ष के दौरान प्राप्त आय	12476056.00
वर्ष में प्राप्त ब्याज	38572
कुल योग	12605860.42
वर्ष के दौरान किया गया व्यय	10632739.00
दिनांक 31-12-2015 अन्त शेष	1973121.42

वर्ष 2016

दिनांक 1-01-2016 को आरम्भिक शेष	1973121.42
वर्ष के दौरान प्राप्त आय	13902641.67
वर्ष में प्राप्त ब्याज	96215
कुल योग	15971978.09
वर्ष के दौरान किया गया व्यय	15560288.51
दिनांक 31-12-2016 अन्त शेष	411689.58

(घ) दिनांक 31-12-2016 को मन्दिर न्यास द्वारा संचालित दुकान की राशि के अन्त शेष का विवरण निम्न प्रकार से है(परिशिष्ट –ड.-1):-

बचत खातों में जमा राशि	455297.58
हस्तगत राशि	50200
योग	505497.58
घटाव:- चैक जारी किए गए लेकिन दिनांक 31-12-2016 तक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए	(-) 98808

जमा:- स्थाई अग्रिम

5000

दिनांक 31-12-2016 को रोकड़ बही के अनुसार

411689.58

(i) बचत खातों में जमा राशि का विवरण निम्न प्रकार से है (परिशिष्ट –ड.-2):-

क्र० सं०	खाता संख्या	बैंक का नाम	दिनांक 31-12-16 को जमा राशि
1	11530527588	भारतीय स्टेट बैंक श्री नयना देवीजी	147775.03
2	11510100620	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक श्री नयना देवी जी	307522.55
		कुल जमा	455297.58

(ii) दिनांक 31-12-2016 तक चैक जारी किए गए परन्तु बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए:-

क्रम संख्या	चैक संख्या	जारी करने की तिथि	राशि
1	913800	31-12-2016	225
2	913801	31-12-2016	17325
3	913802	31-12-2016	81258
		कुल योग	98808

5 सोना :-

(क) मन्दिर न्यास द्वारा वर्ष 2014, 2015 व 2016 के दौरान प्राप्त सोने की मात्रा का विवरण निम्न प्रकार से था (परिशिष्ट –च):-

	किवंटल	किलो	ग्राम	मि० ग्राम
दिनांक 1-01-2014 को प्रारम्भिक शेष	1	46	584	758
वर्ष 2014 में प्राप्त मात्रा	0	05	326	337
वर्ष 2015 में प्राप्त मात्रा	0	07	067	010
वर्ष 2016 में प्राप्त मात्रा	0	04	847	900
योग	1	63	826	005

दिनांक 31-12-2016 को सोने की शेष मात्रा का विवरण:-

	किवंटल	किलो	ग्राम	मि० ग्राम
पूजा अर्चना के लिए सोने की मात्रा	0	17	985	424
सील्ड गांठों में	0	69	499	497

गोल्ड ब्रांड योजना में निवेशित	0	54	101	910
ईंटो के रूप में	0	22	238	174
पुलिस के पास जमा	0	00	001	000
योग	1	63	826	005

(ख) अवधि 1/2014 से 12/2016 के दौरान, मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी को प्राप्त सोने की मात्रा को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करके दुरुपयोग करने बारे:-

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी को अवधि 1.1.2014 से 31.12.2016 के दौरान प्राप्त सोने से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार न्यास को श्रदालुओं से प्राप्त सोने की मात्रा को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करके दुरुपयोग किया गया है।

क्र.	दिनांक	मुख्य गल्ला रजिस्टर पेज संख्या	प्राप्त सोने मात्रा	सोना रजिस्टर में दर्ज मात्रा	कम दर्ज की गई मात्रा
1	24-01-2014	139	0 कि० 002 ग्रा० 200 मि०ग्रा०	0 कि० 001 ग्रा० 200 मि०ग्रा०	001 ग्राम

उपरोक्त उल्लेखित सोने की मात्रा को सोना स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करके दुरुपयोग करने के प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 36 दिनांक 2-02-2018 के अन्तर्गत मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रत्युत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः उक्त सोने की मात्रा को सोना स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त कम दर्ज की गई सोने की मात्रा का उतरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त उक्त कम दर्ज की गई सोने की मात्रा की प्रचलित बाजारीय मूल्य की वसूली सम्बन्धित उतरदायी अधिकारी/ कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए तदनुसार कृत कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

6 चांदी:-

(क) मन्दिर न्यास द्वारा वर्ष 2014, 2015 व 2016 के दौरान प्राप्त चांदी की मात्रा का विवरण निम्न प्रकार से था (परिशिष्ट –छ):-

	किंवटल	किलो	ग्राम	मि० ग्राम
दिनांक 1-01-2014 को प्रारम्भिक शेष	55	47	832	319
वर्ष 2014 में प्राप्त मात्रा	2	84	867	560
वर्ष 2015 में प्राप्त मात्रा	3	00	091	800
वर्ष 2016 में प्राप्त मात्रा	2	88	809	250
योग	64	21	600	929

दिनांक 31-12-2016 को चांदी की शेष मात्रा का विवरण:-

	किंवटल	किलो	ग्राम	मि० ग्राम
पूजा अर्चना के लिए चांदी की मात्रा	04	16	893	390
सील्ड गांठों में	47	22	483	190
ईंटों के रूप में	12	82	224	349
योग	64	21	600	929

(ख) अवधि 1.1.2014 से 31.12.2016 के दौरान मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी को प्राप्त चांदी की मात्रा को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करके दुरुपयोग करने बारे:-

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी को अवधि 1/2014 से 12/2016 के दौरान प्राप्त चांदी से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार न्यास को श्रदालुओं से प्राप्त चांदी की मात्रा को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करके दुरुपयोग किया गया है।

क्र	दिनांक	मुख्य गल्ला रजिस्टर पेज संख्या	प्राप्त चांदी मात्रा	चांदी रजिस्टर में दर्ज मात्रा	कम दर्ज की गई मात्रा
1	14-03-16	244	1 कि० 081 ग्रा० 900 मि०ग्रा०	081 ग्रा० 900 मि०ग्रा०	1 कि०ग्रा०
2	20-03-16	251	1 कि० 106 ग्रा० 000 मि०ग्रा०	106 ग्रा० 000 मि०ग्रा०	1 कि०ग्रा०
3	1-08-16	393	1 कि० 283 ग्रा० 600 मि०ग्रा०	1 कि० 283 ग्रा० 000 मि०ग्रा०	600 मिलीग्राम

4	21-11-16	109	0 कि० 490 ग्रा० 000 मि०ग्रा०	0 कि० 400 ग्रा० 000 मि०ग्रा०	090 ग्राम
5	27-12-16	146	0 कि० 252 ग्रा० 500 मि०ग्रा०	0 कि० 252 ग्रा० 000 मि०ग्रा०	500 मिलीग्राम
कुल योग					2 किलो 091 ग्राम 100 मिली ग्राम

उपरोक्त उल्लेखित चांदी की मात्रा को चांदी स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करके दुरुपयोग करने के प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 36 दिनांक 2-02-2018 के अन्तर्गत मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया, लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रत्युत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः उक्त चांदी की मात्रा को चांदी स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करके दुरुपयोग करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त कम दर्ज की गई चांदी की मात्रा का उतरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त उक्त कम दर्ज की गई चांदी की मात्रा की प्रचलित बाजारीय मूल्य की वसूली सम्बन्धित उतरदायी अधिकारी/ कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

7 **गिल्ट (परिशिष्ट –ज):-**

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी के दिनांक 31-12-2016 तक गिल्ट की शेष बची मात्रा का विवरण निम्न प्रकार से है।

	किंवटल	किलो	ग्राम	मि० ग्राम
स्टॉक रजिस्टर पेज संख्या 213 के अनुसार दिनांक 1-01-2014 को प्रारम्भिक शेष	03	68	265	010
वर्ष 2014 में प्राप्त गिल्ट की मात्रा	0	64	138	200
वर्ष 2015 में प्राप्त गिल्ट की मात्रा	0	44	801	000
दिनांक 4-02-1991 से 13-01-1999 तक पिघलाई के बाद बनाई गई 15 ईंटों का गिल्ट रजिस्टर के अनुसार बजन	01	28	715	000
पेज संख्या 229 के अनुसार समायोजन उपरान्त	0	01	354	500

गिल्ट की बढ़ाई गई कुल मात्रा

कुल योग	6	07	273	710
दिनांक 5-07-2015, 12-07-2015 व 19-07-2015 को कमेटी द्वारा गिल्ट छंटवाई करवाने पर प्राप्त 1129 ग्राम सोना व 7 किलोग्राम चांदी प्राप्ति पर गिल्ट की कुल घटाई गई मात्रा	0	08	129	000
अन्त शेष मात्रा	05	99	144	710
दिनांक 4-10-2015 को मन्दिर न्यास द्वारा नीलाम की गई कुल मात्रा	05	99	144	710
दिनांक 31-12-2015 को अन्त शेष वर्ष 2016 में प्राप्त गिल्ट की मात्रा	00	000	000	000
दिनांक 31-12-2016 को गिल्ट की अन्त शेष मात्रा	00	97	228	000

8 फटे पुराने / कण्डम नोट :-

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी द्वारा दिनांक 31-12-2016 तक ₹14907 के कण्डम नोट को बदला (Exchange) नहीं किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

क्रम संख्या	माह	प्राप्त कण्डम नोट
1	9/2016	1593
2	10/2016	4263
3	11/2016	3650
4	12/2016	5401
योग		14907

अतः उक्त ₹14907 के कण्डम नोट को बदला (Exchange) करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 प्राप्त विदेशी मुद्रा को बैंक में जमा न करवाकर गबन की सम्भावना :-

विदेशी मुद्रा रजिस्टर में दर्ज की गई विदेशी मुद्रा को बैंक में जमा करवाने से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार विदेशी मुद्रा को बैंक में जमा न करवाकर उसका गबन किए जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्र	विदेशी मुद्रा रजिस्टर पेज संख्या	प्राप्ति की तिथि/माह	मुद्रा का विवरण	दर्ज की गई मुद्रा	बैंक में जमा करवाने की तिथि/माह	जमा करवाई गई विदेशी मुद्रा	कम जमा करवाई गई विदेशी मुद्रा
1	45	6/2014	यू. ए. ई. धीराम	35 धीराम	5/2014	25 धीराम	10 धीराम
2	153	14-06-2015	न्यूजीलैंड डॉलर	155 डॉलर	6-08-2015	145 डॉलर	10 डॉलर
3	151	6-02-2016	न्यूजीलैंड डॉलर	5 डॉलर	-	-	5 डॉलर
4	31	8/2016	यूरो	380 यूरो	2-09-2016	280 यूरो	100 यूरो

अतः उक्त विदेशी मुद्रा को बैंक में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए उक्त कम जमा करवाई गई विदेशी मुद्रा का उत्तरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त उक्त विदेशी मुद्रा/राशि की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

10 आय प्राप्त के लिए उपयोग की गई रसीदें अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान निम्न विवरणानुसार रसीदें जारी की गई हैं, लेकिन उक्त रसीदें अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप उक्त रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त दर्शाई गई राशियों की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना सम्भव न हो सकी । अतः वांछित रसीदें आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए ।

क्रम सं.	जारी करने की तिथि	रसीद संख्या	प्राप्त की गई राशि	रसीद रजिस्टर पेज संख्या
1	5-08-14	3705 से 3779	18154	399
2	5-08-14	4006,	3100	399
3	5-08-14	4013,4018,4026,4028,4029 4031,4038,4039,4042,4043,4045	5500 (500 each)	399
4	5-08-14	4046	1100	399

5	5-08-14	4048	500	399
6	5-08-14	4050	2100	399
7	5-08-14	4051-4054	2000 (500 each)	399
8	5-08-14	4056	1100	399
9	5-08-14	4057,4058	1000 (500 each)	399
10	5-08-14	4059	1100	399
11	5-08-14	4061-4063	1500 (500 each)	399
12	5-08-14	4064	1100	399
13	5-08-14	4065,4066	1000 (500 each)	399
14	11-8-14	2506	84	27
15	13-8-14	1082-84	5000	28
16	27-8-14	126-134	3150	30
17	28-8-14	2507	225	30
18	29-08-14	623-25	1050	30
19	23-08-15	1255	3500	83
20	1-08-16	19-21	402	150
21	2-08-16	22-32	27356	150
22	3-08-16	33-34	72464	150
23	4-08-16	35-37	27487	150
24	5-08-16	38-39	14730	150
25	6-08-16	40-46	17099	150
26	7-08-16	47-48	12170	151
27	8-08-16	49-51	9282	151
28	9-08-16	52-53	13313	151
29	10-08-16	54-55	8051	151
30	11-08-16	56-60	38493	151
31	12-08-16	61-62	14855	152
32	13-08-16	63-65	12107	153
33	15-08-16	2324	1600	153
34	16-08-16	2325 66-71	1800 6104	153
35	17-08-16	2326 72-78	1800 87484	153
36	18-08-16	79-82 5930	17000 1200	153
37	19-08-16	83-85	8250	154
38	20-08-16	86-88	33022	154
39	21-08-16	89-99 2327	13875 1400	154

40	22-8-16	2328	400	154
		100	750	
41	25-08-16	183-185	1050	155
42	26-08-16	2329	400	155
43	27-08-16	2330	500	155
		5939	720	
44	28-08-16	2331	2100	155
45	29-08-16	2332	450	155
46	30-08-16	2333	1200	156
		4425	2400	
47	31-08-16	2334	400	156

11 निवेश रजिस्टर का अनुरक्षण न किए जाने बारे:-

मन्दिर न्यास श्री नैणादेवी जी द्वारा किसी प्रकार के निवेश रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है। दिनांक 31-12-2016 को न्यास द्वारा ₹55 करोड़ से अधिक की धनराशि सावधि जमा योजना में निवेश की गई थी। इतनी बड़ी राशि पर नियन्त्रण के लिए कुशल वित्तीय प्रबन्धन अति आवश्यक है ताकि किसी प्रकार की चूक अथवा गड़बड़ी की आशंका को समाप्त किया जा सके। वित्तीय संसाधनों के बेहतर तथा सर्वोत्तम प्रबन्धकीय नियन्त्रण में निवेश रजिस्टर एक अति महत्वपूर्ण अभिलेख है। परन्तु न्यास में इस रजिस्टर का अनुरक्षण न किया जाना प्रबन्धकीय चूक को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अभिलेख के अभाव में निवेशित राशि की परिपक्वता पर मिलने वाले ब्याज, प्राप्त की गई परिपक्वता राशि, सही समय पर पुर्ननिवेश तथा इसके लेखांकन की जांच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी है। यह एक अति गम्भीर अनियमितता है जिस बारे उचित व तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त प्राथमिकता के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

12 सावधि निवेश राशियों की परिपक्वता पर ब्याज में से बैंकों द्वारा ₹61.97 लाख की स्त्रोत पर आयकर की गई कटौती की वसूली न किए जाने बारे:-

मन्दिर न्यास के अवधि 1.1.2014 से 31.12.2016 तक के तीन वर्षों के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया है विभिन्न बैंकों में न्यास द्वारा निवेश की गई राशियों की परिपक्वता पर ब्याज में से स्त्रोत पर आयकर की कटौती ₹61,97,274.24 की गई है जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है। चूंकि न्यास द्वारा निवेश रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है जिस कारण लैजर से निवेश विशेष के सन्दर्भ में की गई कटौती का विवरण तो तैयार नहीं किया जा सका है परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक: अं.वृ.

बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/-21 दिनांक: 05/02/2018 के प्रत्युत्तर उपलब्ध करवाए गए फॉर्म- 26 ए एस (परिशिष्ट – झ 1 से 3) के आधार पर बैंको द्वारा की गई आयकर कटौती का वर्षवार व बैंकवार विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र	वर्ष	बैंक	आयकर कटौती
1	2014-15	एच डी एफ सी बैंक	268038.34
2	2014-15	भारतीय स्टेट बैंक बिलासपुर	12610.00
3	2014-15	भारतीय स्टेट बैंक श्री नैणादेवी जी	333442.00
4	2014-15	हि प्र रा सह बैंक	34740.00
5	2015-16	एच डी एफ सी बैंक	644824.20
6	2015-16	भारतीय स्टेट बैंक श्री नैणादेवी जी	1340844.00
7	2015-16	हि प्र रा सह बैंक	827745.00
8	2016-17	एच डी एफ सी बैंक	662655.70
9	2016-17	भारतीय स्टेट बैंक श्री नैणादेवी जी	1217100.00
10	2016-17	हि प्र रा सह बैंक	855275.00
			6197274.24

चूंकि मन्दिर न्यासों को सरकार को आयकर देने से छूट प्राप्त है। अतः बैंकों द्वारा की गई उपरोक्त ₹61,97,274.24 की आयकर कटौती अनुचित है। अतः इस राशि की वसूली भी सुनिश्चित की जाए तथा इस प्रकरण को बैंकों के साथ उठाकर इस चूक की पुर्नावृत्ति का न होना भी सुनिश्चित करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

13 पुजारी शेयर के रूप में ₹26.45 लाख का अधिक भुगतान :-

क) दिनांक 1-10-2103 से 30-06-14 तक की अवधि हेतु पुजारी शेयर के रूप में ₹1394662.50 का अधिक एवं गलत भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पुजारी शेयर अवधि 1-10-2013 से 30-06-2014 तक की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त अवधि का पुजारी शेयर जिसे कि माह 7/14 में भुगतान किया गया है, पुजारी शेयर के रूप पुजरियों को ₹1394662.50 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है। आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश बिलासपुर के कार्यालय संख्या NO. BIS/TTND/Share 2013-1745 – 1747 दिनांक 3-08-13 जिसके अन्तर्गत पुजारी शेयर की गणना की गई है, में स्पष्ट उल्लेखित है कि नकद चढ़ावे के अतिरिक्त अन्य किसी भी आय से पुजारी हिस्सा नहीं दिया जायेगा। लेकिन मन्दिर न्यास द्वारा पुजारी हिस्से की गणना

करते समय उक्त अवधि के दौरान घी की विक्री से प्राप्त आय व विदेशी मुद्रा से प्राप्त आय को भी आय में सम्मिलित कर लिया गया है, जिसके फलस्वरूप पुजारी शेयर के रूप में उक्त अवधि हेतु ₹1394662.50 का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है। पुजारी शेयर के रूप में किए गए अधिक एवं गलत भुगतान का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

(1) अवधि 1-10-2013 से 30-06-2014 तक की कुल आय जिसे पुजारी हिस्से की गणना करते हुए सम्मिलित किया गया है।

i) मुख्य गल्ला की आय=₹90583265

ii) घी की विक्री से आय=₹935750

iii) विदेशी मुद्रा से आय= ₹1853575

iv) कण्डम नोट से आय = ₹41977

कुल आय = ₹93414567

(2) घटाव :- अवधि 1-10-2013 से 30-06-2014 तक की आय जिसे पुजारी हिस्से की गणना करने हेतु सम्मिलित नहीं किया जाना है।

i) घी विक्री से आय = ₹935750

ii) विदेशी मुद्रा से आय = ₹1853575

कुल आय = ₹2789325

(3) अवधि 1-10-2013 से 30-06-2014 तक की आय जिस पर पुजारी हिस्से की गणना की जानी अपेक्षित थी। [(1)-(2)] ₹93414567-2789325 = ₹90625242

(4) अवधि 1-10-13 से 30-06-14 तक का व्यय जिसे आय से घटाया जाना है= ₹34915083.49

(5) पुजारी हिस्से की गणना करने हेतु शेष बची आय ₹55710158.51

(6) देय 50% भाग पुजारी शेयर ₹27855079.25

(7) पुजारी शेयर के रूप में दी गई राशि ₹29249741.75

(8) पुजारी शेयर के रूप में किया गया अधिक एवं गलत भुगतान = ₹1394662.50

ख) दिनांक 1-07-2104 से 30-06-15 तक की अवधि हेतु पुजारी शेयर के रूप में ₹1249954 का अधिक एवं गलत भुगतान :-

इसी तरह पुजारी शेयर अवधि 1-07-2014 से 30-06-2015 तक की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त अवधि का पुजारी शेयर जिसे कि माह 7/15 में भुगतान किया गया है, पुजारी शेयर के रूप पुजरियों को ₹1249954 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है। आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश बिलासपुर के कार्यालय संख्या NO. BIS/TTND/Share

2013-1745 – 1747 दिनांक 3-08-13 जिसके अन्तर्गत पुजारी शेयर की गणना की गई है, में स्पष्ट उल्लेखित है कि नकद चढ़ावे के अतिरिक्त अन्य किसी भी आय से पुजारी हिस्सा नहीं दिया जायेगा। लेकिन मन्दिर न्यास द्वारा पुजारी हिस्से की गणना करते समय उक्त अवधि के दौरान घी की विक्री से प्राप्त आय व विदेशी मुद्रा से प्राप्त आय को भी आय में सम्मिलित कर लिया गया है, जिसके फलस्वरूप पुजारी शेयर के रूप में उक्त अवधि हेतु ₹1249954 का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है। पुजारी शेयर के रूप में किए गए अधिक एवं गलत भुगतान का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

(1) अवधि 1-07-2014 से 30-06-2015 तक की कुल आय जिसे पुजारी हिस्से की गणना करते हुए सम्मिलित किया गया है।

i) मुख्य गल्ला की आय= ₹139457799

ii) घी की विक्री से आय= ₹1290500

iii) विदेशी मुद्रा से आय= ₹1209408

iv) कण्डम नोटों से आय = ₹ 61586

कुल आय = ₹142019293

(2) घटाव :- अवधि 1-07-2014 से 30-06-2015 तक की आय जिसे पुजारी हिस्से की गणना करने हेतु सम्मिलित नहीं किया जाना है।

i) घी विक्री से आय = ₹1290500

ii) विदेशी मुद्रा से आय = ₹1209408

कुल आय = ₹2499908

(3) अवधि 1-07-2014 से 30-06-2015 तक की आय जिस पर पुजारी हिस्से की गणना की जानी अपेक्षित थी I [(1)-(2)] ₹142019293-2499908 = ₹139519385

(4) अवधि 1-07-2014 से 30-06-2015 तक का व्यय जिसे आय से घटाया जाना है = ₹56174899

(5) पुजारी हिस्से की गणना करने हेतु शेष बची आय = ₹83344486

(6) देय 50% भाग पुजारी शेयर = ₹41672243

(7) पुजारी शेयर के रूप में दी गई राशि = ₹42922197

(8) पुजारी शेयर के रूप में किया गया अधिक एवं गलत भुगतान = ₹1249954

उपरोक्त क व ख पर उल्लेखित अवधि 1-10-13 से 30-06-15 तक पुजारी शेयर के रूप में अधिक भुगतान की गई ₹2644616.50 (1394662.50+1249954) का प्रकरण अंकेक्षण

अधियाचना संख्या - 26 दिनांक 22-01-2018 व अंकेक्षण अधियाचना संख्या - 29 दिनांक 24-01-2018 के अन्तर्गत मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया, लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक उक्त अधियाचनाओं का कोई भी प्रत्युत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः पुजारी शेयर के रूप में किए गए अधिक एवं गलत भुगतान का आयुक्त मन्दिर के आदेशों को मध्यनजर रखते हुए न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा सम्पूर्ण अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी से की जानी अपेक्षित है। तदनुसार कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में नियोक्ता अंशदान के रूप में ₹9.37 लाख का अधिक भुगतान

कर्मचारी भविष्य निधि व अन्य विविध उपबन्ध (Miscellaneous Provision) अधिनियम 1952 में विहित निर्देशों के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा अपने मूल वेतन पर अधिकतम सीमा की ₹6500 पर 12 प्रतिशत अर्थात् ₹780 व दिनांक 1-09-2014 से मूल वेतन की निर्धारित अधिकतम सीमा की ₹15000 पर 12 प्रतिशत अर्थात् ₹1800 प्रतिमाह की दर से पेंशन फण्ड में जमा करने का प्रावधान है तथा इतनी ही राशि न्योक्ता (Employer) द्वारा भी कर्मचारियों के पेंशन फण्ड में जमा की जानी अपेक्षित थी उपरोक्त दिशा निर्देशों के विपरीत मन्दिर न्यास द्वारा अंकेक्षण अवधि 1-01-2014 से 31-10-2014 तक कर्मचारियों के मूल वेतन की निर्धारित अधिकतम सीमा अवधि 1-01-2014 से 31-08-14 तक ₹6500 व दिनांक 1-09-14 से 31-10-14 तक ₹15000 के स्थान पर उनके पूरे मूल वेतन की राशि पर 12 प्रतिशत की दर से प्रत्येक कर्मचारी को भविष्य निधि में बराबरी का अंशदान किया गया है, जिसके फलस्वरूप न्यास द्वारा ₹937105 का अधिक भुगतान किया गया है।

उक्त अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या - 35 दिनांक 2-02-2018 अन्तर्गत मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक उक्त अधियाचन का कोई भी प्रत्युत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः निर्धारित सीमा से अधिक ई० पी० एफ० अंशदान के रूप में किए गए अधिक एवं गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से अविलम्ब की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया कर्मचारी भविष्य निधि के रूप में किए गए अधिक भुगतान का विवरण निम्नलिखित है।

(क) मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी में कार्यरत कर्मचारियों को नियोक्ता अंशदान के रूप में अधिक एवं गलत भुगतान का विवरण:-									
क्रम सं	कर्मचारी का नाम व पदनाम श्री/श्रीमती	अवधि	महीनों की संख्या	पे+ ग्रेड पे	दिया गया नियोक्ता शेयर	देय नियोक्ता शेयर	अन्तर	अधिक एवं गलत भुगतान	कुल अधिक एवं गलत भुगतान
1	अश्वनी कुमार, वरिष्ठ सहायक	1-01-14 से 30-04-14	4	16040	1925	780	1145	4580	9396
		1-05-14 से 31-08-14	4	16530	1984	780	1204	4816	
2	बचन लाल, कनिष्ठ सहायक	1-01-14 से 30-04-14	4	16920	2030	780	1250	5000	10248
		1-05-14 से 31-08-14	4	17430	2092	780	1312	5248	
3	सुरेंद्र पाल, लिपिक	1-01-14 से 31-08-14	8	14190	1703	780	923	7384	7384
4	सुरजीत सिंह, लिपिक	1-01-14 से 31-08-14	8	13910	1669	780	889	7112	7112
5	राकेश कुमार, लिपिक	1-01-14 से 30-04-14	4	9930	1192	780	412	1648	3440
		1-05-14 से 31-08-14	4	10230	1228	780	448	1792	
6	राम कृशन, वरिष्ठ सहायक	1-01-14 से 30-04-14	4	17940	2153	780	1373	5492	11244
		1-05-14 से 31-08-14	4	18480	2218	780	1438	5752	
7	विरेंद्र कुमार, लिपिक	1-01-14 से 28-02-14	2	14190	1703	780	923	1846	7690
		1-03-14 से 31-08-14	6	14620	1754	780	974	5844	
8	रमन कुमार, स्थानापती	1-01-14 से 31-08-14	8	14620	1703	780	923	7384	7384
9	बीधि सिंह, शू अटेंडेंट	1-01-14 से 31-08-14	8	10490	1259	780	479	3832	3832
10	प्रकाश चन्द, निगरान	1-01-14 से 31-08-14	8	10490	1259	780	479	3832	3832
11	कृशन लाल, लांगरी	1-01-14 से 30-04-14	4	9930	1192	780	412	1648	3440
		1-05-14 से 31-08-14	4	10230	1228	780	448	1792	
12	अजीत कुमार, नावती	1-01-14 से 31-08-14	8	9920	1190	780	410	3280	3280

13	तिरलोक चन्द गगरिया	1-01-14 से 31-08-14	8	9930	1192	780	412	3296	3296
14	जय सिंह, गगरिया	1-01-14 से 31-08-14	8	10490	1259	780	479	3832	3832
15	सतपाल, लांगरी	1-01-14 से 31-08-14	8	10490	1259	780	479	3832	3832
16	धर्म पाल, सफाई कर्मचारी	1-01-14 से 31-08-14	8	10490	1259	780	479	3832	3832
17	विद्या सागर, चतुर्थ श्रेणी	1-01-14 से 31-08-14	8	6240	936	780	156	1248	1248
18	भजन सिंह, निगरान	1-01-14 से 31-08-14	8	10490	1259	780	479	3832	3832
19	प्यार चन्द, निगरान	1-01-14 से 30-04-14	4	9930	1192	780	412	1648	3440
		1-05-14 से 31-08-14	4	10230	1228	780	448	1792	
20	बिशन दास, लांगरी	1-01-14 से 30-04-14	4	9930	1192	780	412	1648	3440
		1-05-14 से 31-08-14	4	10230	1228	780	448	1792	
21	विभीषण चन्द, सफाई कर्मचारी	1-01-14 से 31-08-14	8	9930	1192	780	412	3296	3296
22	रविंदर कुमार, सफाई कर्मचारी	1-01-14 से 31-08-14	8	7800	936	780	156	1248	1248
23	राम पाल - 2, मेट	1-01-14 से 30-04-14	4	9930	1192	780	412	1648	3440
		1-05-14 से 31-08-14	4	10230	1228	780	448	1792	
24	ओम प्रकाश, नावती	1-01-14 से 31-08-14	8	7580	910	780	130	1040	1040
25	राम चन्द	1-01-14 से 31-08-14	8	7580	910	780	130	1040	1040
26	बलजिंदर कुमार, एम०पी० डब्ल्यू०	1-01-14 से 31-08-14	8	10490	1259	780	479	3832	3832
27	प्रेम चन्द, कनिष्ठ अभियन्ता	1-01-14 से 31-03-14	3	25160	3019	780	2239	6717	18367
		1-04-14 से 31-08-14	5	25920	3110	780	2330	11650	

28	प्रेम चन्द, कनिष्ठ अभियन्ता	1-01-14 से 30-04-14	4	23710	2845	780	2065	8260	16868
		1-05-14 से 31-08-14	4	24430	2932	780	2152	8608	
29	मोहिंदर सिंह, ड्राफ्ट्स मैन	1-01-14 से 31-08-14	8	21970	2636	780	1856	14848	14848
30	परमा नन्द, ड्राफ्ट्स मैन	1-01-14 से 31-08-14	8	21970	2636	780	1856	14848	14848
31	रमेश चन्द, हैल्पर	1-01-14 से 31-08-14	8	10490	1259	780	479	3832	3832
32	सुमन सिंह, बिधुतकार	1-01-14 से 31-07-14	7	9460	1135	780	355	2485	2875
		1-08-14 से 31-08-14	1	9750	1170	780	390	390	
33	संजीव कुमार, ड्राइवर	1-01-14 से 31-08-14	8	10000	1200	780	420	3360	3360
34	अर्जुन सिंह, पलम्बर	1-01-14 से 31-03-14	3	8940	1073	780	293	879	2504
		1-04-14 से 31-08-14	5	9210	1105	780	325	1625	
35	ठाकुर दास, कंडक्टर	1-01-14 से 31-03-14	3	8940	1073	780	293	879	2504
		1-04-14 से 31-08-14	5	9210	1105	780	325	1625	
36	देश राज, माली	1-01-14 से 31-03-14	3	8940	1073	780	293	879	2504
		1-04-14 से 31-08-14	5	9210	1105	780	325	1625	
37	अछरु राम, ड्राइवर	1-01-14 से 31-08-14	8	13850	1662	780	882	7056	7056
38	रोशन लाल-2, चपरासी	1-01-14 से 31-03-14	3	8940	1073	780	293	879	2504
		1-04-14 से 31-08-14	5	9210	1105	780	325	1625	
39	अनिल कुमार, लिपिक	1-01-14 से 30-04-14	4	9930	1192	780	412	1648	3440
		1-05-14 से 31-08-14	4	10230	1228	780	448	1792	
40	गुरबचन सिंह, निगरान	1-01-14 से 30-04-14	4	9930	1192	780	412	1648	3440
		1-05-14 से 31-08-14	4	10230	1228	780	448	1792	
41	अमरजीत, सफाई कर्मचारी	1-01-14 से 31-08-14	8	7800	936	780	156	1248	1248

42	सतपाल, सफाई कर्मचारी	1-01-14 से 31-08-14	8	9930	1192	780	412	3296	3296
43	राम पाल-1, सफाई कर्मचारी	1-01-14 से 31-08-14	8	7700	924	780	144	1152	1152
44	विकास बस्सी, सुपरवाइजर	1-01-14 से 31-08-14	8	8980	1078	780	298	2384	2384
45	अरविन्द शोरी, लिपिक	1-01-14 से 31-08-14	8	14190	1703	780	923	7384	7384
46	सोम नाथ, लांगरी	1-01-14 से 31-08-14	8	10490	1259	780	479	3832	3832
47	दया राम, लांगरी	1-01-14 से 31-08-14	8	10490	1259	780	479	3832	3832
48	धनी राम, लांगरी	1-01-14 से 31-08-14	8	10490	1259	780	479	3832	3832
49	प्रेम लाल, लांगरी	1-01-14 से 31-08-14	8	10490	1259	780	479	3832	3832
50	गोपाल चन्द, लांगरी	1-01-14 से 31-08-14	8	10490	1259	780	479	3832	3832
51	आशा राम, लांगरी	1-01-14 से 31-08-14	8	10490	1259	780	479	3832	3832
52	हस्तबहादुर, लांगरी	1-01-14 से 31-08-14	8	10490	1259	780	479	3832	3832
53	रूप लाल, लांगरी	1-01-14 से 31-08-14	8	10490	1259	780	479	3832	3832
54	मदन लाल, लांगरी	1-01-14 से 31-08-14	8	10490	1259	780	479	3832	3832
55	कमल कुमार, लांगरी	1-01-14 से 31-08-14	8	10180	1222	780	442	3536	3536
56	नन्द लाल, लांगरी	1-01-14 से 31-01-14	1	10180	1222	780	442	442	3795
		1-02-14 से 31-08-14	7	10490	1259	780	479	3353	
57	दिलदार, लांगरी	1-01-14 से 31-08-14	8	10490	1259	780	479	3832	3832
58	प्रेम लाल-1, लांगरी	1-01-14 से 31-08-14	8	10220	1226	780	446	3568	3568
59	कृष्ण दयाल, लांगरी	1-01-14 से 31-08-14	8	10490	1259	780	479	3832	3832

60	ऊषा देवी, जलवाहक	1-01-14 से 30-04-14	4	9930	1192	780	412	1648	3296
		1-05-14 से 31-08-14	4	10230	1192	780	412	1648	
61	कुसुम लता, चपरासी	1-01-14 से 31-08-14	8	9930	1192	780	412	3296	3296
62	सुखदेव -2, सफाई कर्मचारी	1-01-14 से 30-04-14	4	9930	1192	780	412	1648	3436
		1-05-14 से 31-08-14	4	10230	1227	780	447	1788	
63	मेघ सिंह, लांगरी	1-01-14 से 30-04-14	4	9930	1192	780	412	1648	3436
		1-05-14 से 31-08-14	4	10230	1227	780	447	1788	
64	राम पाल-3, चौकीदार	1-01-14 से 31-03-14	3	8940	1073	780	293	879	2504
		1-04-14 से 31-08-14	5	9210	1105	780	325	1625	
65	कमल जीत, सफाई कर्मचारी	1-01-14 से 31-03-14	3	8940	1073	780	293	879	2504
		1-04-14 से 31-08-14	5	9210	1105	780	325	1625	
66	इंदरजीत, बेलदार	1-01-14 से 31-03-14	3	8940	1073	780	293	879	2504
		1-04-14 से 31-08-14	5	9210	1105	780	325	1625	
67	राम स्वरूप, बेलदार	1-01-14 से 31-03-14	3	8940	1073	780	293	879	2504
		1-04-14 से 31-08-14	5	9210	1105	780	325	1625	
68	सुचा राम, बेलदार	1-01-14 से 31-03-14	3	8940	1073	780	293	879	2504
		1-04-14 से 31-08-14	5	9210	1105	780	325	1625	
69	सुखदेव, लांगरी	1-01-14 से 31-08-14	8	10490	1259	780	479	3832	3832
70	बलवंत कुमार, चतुर्थ श्रेणी	1-01-14 से 31-08-14	8	7800	936	780	156	1248	1248
71	हुकुम चन्द, एम० पी० डब्ल्यू० (सेवानिवृत्त दिनांक 31-05- 14)	1-01-14 से 31-05-14	5	7580	910	780	130	650	650
72	शिव कुमार,	1-01-14 से 31-08-14	8	7580	910	780	130	1040	1040

	एम० पी० डब्ल्यू०								
73	नीलम कुमारी, चतुर्थ श्रेणी	1-01-14 से 31-08-14	8	7580	910	780	130	1040	1040
74	मोहिंदर, लांगरी	1-01-14 से 31-08-14	8	9640	1157	780	377	3016	3016
75	जीत राम, बेलदार	1-01-14 से 31-03-14	3	8940	1073	780	293	879	2504
		1-04-14 से 31-08-14	5	9210	1105	780	325	1625	
76	बलदेव सिंह, मिस्त्री	1-01-14 से 30-04-14	4	9930	1192	780	412	1648	3440
		1-05-14 से 31-08-14	4	10230	1228	780	448	1792	
77	देव दत्त, बेलदार	1-01-14 से 31-08-14	8	9930	1192	780	412	3296	3296
78	पोला राम, बेलदार	1-01-14 से 30-04-14	4	9930	1192	780	412	1648	3440
		1-05-14 से 31-08-14	4	10230	1228	780	448	1792	
79	यशपाल, बेलदार	1-01-14 से 30-04-14	4	9930	1192	780	412	1648	3440
		1-05-14 से 31-08-14	4	10230	1228	780	448	1792	
80	बुधि सिंह, बेलदार	1-01-14 से 30-04-14	4	9930	1192	780	412	1648	3440
		1-05-14 से 31-08-14	4	10230	1228	780	448	1792	
81	कश्मीर सिंह, बेलदार	1-01-14 से 31-03-14	3	8940	1073	780	293	879	2504
		1-04-14 से 31-08-14	5	9210	1105	780	325	1625	
82	धर्म सिंह, बेलदार	1-01-14 से 31-03-14	3	8940	1073	780	293	879	2504
		1-04-14 से 31-08-14	5	9210	1105	780	325	1625	
83	जोगिन्दर सिंह, बेलदार	1-01-14 से 31-03-14	3	8940	1073	780	293	879	2504
		1-04-14 से 31-08-14	5	9210	1105	780	325	1625	
84	विनय कुमार, लिपिक	1-01-14 से 31-08-14	8	13910	1669	780	889	7112	7112
85	संजीव कुमार,	1-01-14 से 31-03-14	3	8700	1044	780	264	792	2272

	सेल्समेन	1-04-14 से 31-08-14	5	8970	1076	780	296	1480	
86	गुरध्यान, सेल्समेन	1-01-14 से 31-03-14	3	8700	1044	780	264	792	2272
		1-04-14 से 31-08-14	5	8970	1076	780	296	1480	
87	गोपाल सिंह, सेल्समेन	1-01-14 से 31-03-14	3	8700	1044	780	264	792	2272
		1-04-14 से 31-08-14	5	8970	1076	780	296	1480	
88	रोशन लाल, सेल्समेन	1-01-14 से 31-03-14	3	8700	1044	780	264	792	2272
		1-04-14 से 31-08-14	5	8970	1076	780	296	1480	
89	गुरदेव सिंह, सेल्समेन	1-01-14 से 31-03-14	3	8700	1044	780	264	792	2272
		1-04-14 से 31-08-14	5	8970	1076	780	296	1480	
90	विपिन कुमार, हैल्पर	1-01-14 से 31-07-14	7	8700	1044	780	264	1848	2144
		1-08-14 से 31-08-14	1	8970	1076	780	296	296	
91	घनश्याम, हैल्पर	1-01-14 से 31-07-14	7	8700	1044	780	264	1848	2144
		1-08-14 से 31-08-14	1	8970	1076	780	296	296	
92	घनश्याम, हैल्पर	1-03-14 से 31-03-14	1	7810	937	780	157	157	1087
		1-04-14 से 31-08-14	5	8050	966	780	186	930	
93	गगन सिंह, ड्राइवर	1-01-14 से 31-03-14	3	7910	949	780	169	507	1497
		1-04-14 से 31-08-14	5	8150	978	780	198	990	
94	नितिन कुमार, चतुर्थ श्रेणी	1-04-14 से 31-08-14	8	6788	815	780	35	280	280
95	राज कुमार, चतुर्थ श्रेणी	1-04-14 से 31-08-14	8	6788	815	780	35	280	280
96	सोम प्रकाश, सफाई कर्मचारी	1-04-14 से 31-08-14	8	8900	1068	780	288	2304	2304
97	राजिंदर कुमार,	1-01-14 से 31-03-14	3	11880	1426	780	646	1938	5383

	एम० पी० डब्ल्यू०	1-04-14 से 31-08-14	5	12240	1469	780	689	3445	
98	सुनील कुमार, लिपिक	1-01-14 से 31-03-14	3	7810	937	780	157	471	1401
		1-04-14 से 31-08-14	5	8050	966	780	186	930	
99	सुग्रीव कुमार, एम० पी० डब्ल्यू०	1-06-14 से 31-07-14	2	7150	858	780	78	156	260
		1-08-14 से 31-08-14	1	7370	884	780	104	104	
100	श्याम लाल, इलेक्ट्रीशियन	1-04-14 से 31-08-14	8	11910	1429	780	649	5192	5192
101	राम भाग, एम० पी० डब्ल्यू०	1-04-14 से 31-08-14	8	7350	882	780	102	816	816
								योग	391537
(ख) श्री शक्ति संस्कृत महाविद्यालय श्री नयना देवी जी में कार्यरत कर्मचारियों को नियोक्ता अंशदान के रूप में अधिक एवं गलत भुगतान का विवरण:-									
1	नरोत्तम दत्त, प्रधानाचार्य	1-01-14 से 31-08-14	8	63360	7603	780	6823	54584	66190
		1-09-14 से 31-10-14	2	63360	7603	1800	5803	11606	
2	जगदीश चन्द, प्रवक्ता	1-01-14 से 31-08-14	8	30630	3676	780	2896	23168	26920
		1-09-14 से 31-10-14	2	30630	3676	1800	1876	3752	
3	रत्नेश्वर, प्रवक्ता	1-01-14 से 31-08-14	8	30630	3676	780	2896	23168	26920
		1-09-14 से 31-10-14	2	30630	3676	1800	1876	3752	
4	मोरारी लाल, प्रवक्ता	1-01-14 से 31-08-14	8	31980	3838	780	3058	24464	28540
		1-09-14 से 31-10-14	2	31980	3838	1800	2038	4076	
5	ब्रैसपति, प्रवक्ता	1-01-14 से 31-08-14	8	31980	3838	780	3058	24464	28540
		1-09-14 से 31-10-14	2	31980	3838	1800	2038	4076	
6	बिरेंदर सिंह पठानिया, प्रवक्ता	1-01-14 से 30-04-14	4	24350	2922	780	2142	8568	24624
		1-05-14 से 31-8-14	6	25350	3042	780	2262	13572	

		1-09-14 से 31-10-14	2	25350	3042	1800	1242	2484	
7	दौलत राम, प्रवक्ता	1-01-14 से 31-05-14	5	26590	3191	780	2411	12055	
		1-06-14 से 31-8-14	3	27390	3287	780	2507	7521	22694
		1-09-14 से 31-10-14	2	27990	3359	1800	1559	3118	
8	धर्म पाल, लिपिक	1-01-14 से 31-08-14	8	14620	1754	780	974	7792	7792
9	प्रेम लता, लिपिक	1-01-14 से 31-08-14	8	14330	1754	780	974	7792	7792
10	नरेश कुमार, एम० पी० डब्ल्यू०	1-01-14 से 30-06-14	6	9930	1192	780	412	2472	3368
		1-07-14 से 31-08-14	2	10230	1228	780	448	896	
								योग	243380

(ग) श्री शक्ति व० मा० पा० श्री नयना देवी जी में कार्यरत कर्मचारियों को नियोक्ता अंशदान के रूप में अधिक एवं गलत भुगतान का विवरण :-

1	रोशन लाल, प्रधानाचार्य	1-01-14 से 30-04-14	4	29830	3580	780	2800	11200	
		1-05-14 से 31-08-14	4	30730	3688	780	2908	11632	26608
		1-09-14 से 31-10-14	2	30730	3688	1800	1888	3776	
2	नरेंद्र सिंह सैन, प्रवक्ता	1-01-14 से 30-04-14	4	26630	3196	780	2416	9664	
		1-05-14 से 31-08-14	4	28460	3415	780	2635	10540	23434
		1-09-14 से 31-10-14	2	28460	3415	1800	1615	3230	
3	मीरा ठाकुर, प्रवक्ता	1-01-14 से 30-04-14	4	27430	3292	780	2512	10048	
		1-05-14 से 31-08-14	4	29290	3515	780	2735	10940	24418
		1-09-14 से 31-10-14	2	29290	3515	1800	1715	3430	
4	सुनील शर्मा, प्रवक्ता	1-01-14 से 30-04-14	4	26630	3196	780	2416	9664	
		1-05-14 से 31-08-14	4	28460	3415	780	2635	10540	23434

		1-09-14 से 31-10-14	2	28460	3415	1800	1615	3230	
5	कमल सिंह, प्रवक्ता	1-01-14 से 30-04-14	4	26630	3196	780	2416	9664	22840
		1-05-14 से 31-08-14	4	27630	3316	780	2536	10144	
		1-09-14 से 31-10-14	2	27630	3316	1800	1516	3032	
6	उपेंद्र सिंह, प्रवक्ता	1-01-14 से 30-04-14	4	25340	3041	780	2261	9044	21290
		1-05-14 से 31-08-14	4	26340	3161	780	2381	9524	
		1-09-14 से 31-10-14	2	26340	3161	1800	1361	2722	
7	रमा कांत , प्रवक्ता	1-01-14 से 30-04-14	4	24910	2989	780	2209	8836	21240
		1-05-14 से 31-05-14	1	25910	3109	780	2329	2329	
		1-06-14 से 31-08-14	3	26690	3203	780	2423	7269	
		1-09-14 से 31-10-14	2	26690	3203	1800	1403	2806	
8	अश्वनी कुमार , प्रवक्ता	1-01-14 से 30-04-14	4	24910	2989	780	2209	8836	20864
		1-05-14 से 31-08-14	4	25910	3109	780	2329	9316	
		1-09-14 से 30-09-14	1	25910	3109	1800	1309	1309	
		1-10-14 से 31-10-14	1	26690	3203	1800	1403	1403	
9	राज कुमार, प्रवक्ता	1-01-14 से 30-04-14	4	24340	2921	780	2141	8564	20498
		1-05-14 से 31-08-14	4	25910	3109	780	2329	9316	
		1-09-14 से 31-10-14	2	25910	3109	1800	1309	2618	
10	मनोज कुमार, प्रवक्ता	1-01-14 से 30-04-14	4	23830	2860	780	2080	8320	19750
		1-05-14 से 31-07-14	3	24830	2980	780	2200	6600	
		1-08-14 से 31-08-14	1	25580	3070	780	2290	2290	
		1-09-14 से 31-10-14	2	25580	3070	1800	1270	2540	

11	कुलदीप सिंह, डी० पी० ई०	1-01-14 से 30-04-14	4	22900	2748	780	1968	7872	18138
		1-05-14 से 31-08-14	4	23590	2831	780	2051	8204	
		1-09-14 से 31-10-14	2	23590	2831	1800	1031	2062	
12	बाल कृष्ण, शास्त्री	1-01-14 से 30-04-14	4	22130	2656	780	1876	7504	17788
		1-05-14 से 31-08-14	4	23620	2834	780	2054	8216	
		1-09-14 से 31-10-14	2	23620	2834	1800	1034	2068	
13	धर्म पाल, टी०जी०टी०	1-01-14 से 28-02-14	2	22900	2748	780	1968	3936	18968
		1-03-14 से 31-08-14	6	24100	2892	780	2112	12672	
		1-09-14 से 31-10-14	2	24830	2980	1800	1180	2360	
14	अराधना देवी, लैब अटेंडेंट	1-01-14 से 31-08-14	8	12320	1478	780	698	5584	11008
15	तुलसी राम, वरिष्ठ सहायक	1-01-14 से 30-04-14	4	17800	2136	780	1356	5424	11910
		1-05-14 से 31-08-14	4	18340	2201	780	1421	5684	
		1-09-14 से 31-10-14	2	18340	2201	1800	401	802	
								योग	302188
क्रम संख्या (क)+(ख) व (ग) का कुल योग (391537+ 243380+302188)									937105

15 ₹ 690 की धनराशि का दुरुपयोग :-

(क) जांच के दौरान पाया गया की निम्न विवरणानुसार मुख्य मन्दिर से प्रिंटड रसीदें जारी की गई थी, लेकिन उक्त जारी की गई रसीदों से प्राप्त राशि को मन्दिर कोष में जमा न करवाकर उसका दुरुपयोग किया गया है।

क्र० सं०	प्रिंटड रसीद रजिस्टर पेज संख्या	जारी की तिथि	रसीद संख्या	दर्ज न की गई रसीद संख्या	कुल दर्ज न की गई रसीदें	प्रति रसीद मूल्य	योग
1	79	7-8-2015	634 से 635	636	1	500	500
2	151	7-08-2-16	26480 से 26487	26488	1	100	100
योग							600

अतः उक्त रसीदों से प्राप्त आय को मन्दिर कोष में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त कम जमा करवाई गई राशि का उत्तरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए तदनुसार कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) मन्दिर न्यास द्वारा संचालित दुकान द्वारा सामान की बिक्री हेतु जारी किए गए कूपनों से प्राप्त आय की जांच करने पर पाया गया कि कूपन रजिस्टर में पेज संख्या – 83, दिनांक 6-06-2014 को दर्ज की गई आय का वास्तविक योग ₹37320 बनता था, जबकि ₹37230 दर्ज किया गया है। फलस्वरूप गणना में त्रुटि के कारण ₹90 कम दर्ज किए गए हैं। अतः उक्त कम दर्ज की गई राशि का उत्तरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 अग्रिमों का समायोजन न करने बारे:-

अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार मन्दिर न्यास द्वारा दिनांक 31-12-2016 तक निक्षेप कार्य (Deposit Work) हेतु निम्न विवरणानुसार अग्रिम प्रदान किया गया है, लेकिन उक्त अग्रिम राशि का दिनांक 31-12-2016 तक समायोजन नहीं किया गया।

क्र० सं०	बिल/वोचर संख्या	विभाग का नाम	कार्य का विवरण	भुगतान की तिथि	प्रदान की गई राशि
1	36	Executive Engineer HP PWD department Div. No. 2 Bilaspur, Distt. Bilaspur (H.P.)	Construction of Junior Engineer's Office at Kaulan Wala Toba.	13-01-2015	9,99,700

अतः सम्बन्धित विभाग से उक्त कार्य हेतु प्रदान की गई राशि का समायोजन करने उपरान्त अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के बिना अनियमित पदोन्नतियां करना:-

अंकेक्षण अध्याचना क्रमांक: अ.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/-157 दिनांक: 18/09/2017 द्वारा मन्दिर अधिकारी से मन्दिर न्यास कर्मचारियों के सन्दर्भ में मांगी गई सूचना (परिशिष्ट –अ) के व इन कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं के अवलोकन पर अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास में विभिन्न श्रेणियों के 144 कर्मचारी कार्यरत हैं। मन्दिर न्यास के गठन के पश्चात से ही समय समय पर इन कर्मचारियों को रिक्तियों अथवा

नए पदों के सृजन के पश्चात पदोन्नतियों का लाभ भी दिया जाता रहा है। अंकेक्षणावधि 1. 1.2014 से 31.12.2016 तक के दौरान भी निम्न विवरणानुसार कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया गया है:-

क्र	कर्मचारी का नाम	पदोन्नति की दिनांक	जिस पद से पदोन्नति दी गई	जिस पद पर पदोन्नति दी गई
1	श्री सदा राम	06.12.2016	वरिष्ठ सहायक	अधीक्षक ग्रेड-2
2	श्री अरविन्द शोरी	06.12.2016	कनिष्ठ सहायक	वरिष्ठ सहायक
3	श्री विरेन्द्र कुमार	14.12.2016	कनिष्ठ सहायक	वरिष्ठ सहायक
4	श्री सुरजीत कुमार	02.11.2015	लिपिक	कनिष्ठ सहायक
5	श्री विनय कुमार	06.12.2016	लिपिक	कनिष्ठ सहायक
6	श्री अनिल कुमार	16.12.2014	निगरान (च. श्रेणी)	लिपिक
7	श्री भजन सिंह	09.03.2016	निगरान (च0 श्रेणी)	लिपिक
8	श्री प्यार सिंह	09.03.2016	निगरान (च0 श्रेणी)	लिपिक
9	श्री नरेन्द्र सिंह सेन	06.12.2016	प्राध्यापक राजनीतिक शास्त्र	प्रधानाचार्य

इन पदोन्नतियों की अंकेक्षण जांच पर पाया गया कि न्यास द्वारा वर्ष 1985 में गठन के पश्चात से अब तक 32 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अभी तक अपने कर्मचारियों के सन्दर्भ में न तो भर्ती एवं पदोन्नति नियम नहीं बनाए गए हैं और न ही इन श्रेणियों के सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग द्वारा बनाए गए नियमों को अपनाया गया है। इस सन्दर्भ में मन्दिर न्यास के सेवा उपनियम 1994 संशोधित 1996 में भी किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है। इन नियमों के अभाव में मन्दिर न्यास द्वारा अब तक की गई अथवा की जा रही सभी भर्तियां व पदोन्नतियां अनियमित हैं। अतः मन्दिर न्यास कर्मचारियों के सम्बन्ध में अब तक भर्ती एवं पदोन्नति नियम न बनाए जाने के कारणों को तथ्य सहित स्पष्ट करने के अतिरिक्त इस गम्भीर अनियमितता को दूर करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही की जाए। इसके अतिरिक्त इन नियमों को प्रतिपादित किए जाने के पश्चात अब तक की गई समस्त भर्तियों एवं पदोन्नतियों को भी सक्षम प्राधिकारी की विशेष कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों से अधिक कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी से तृतीया श्रेणी कर्मचारी के रूप में पदोन्नत करना

मन्दिर न्यास द्वारा अंकेक्षण अध्याचना क्रमांक: अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी. /2017/-157 दिनांक: 18/09/2017 के प्रत्युत्तर उपलब्ध करवाई गई जानकारी (परिशिष्ट –अ) के अनुसार अंकेक्षणावधि के दौरान न्यास में लिपिक वर्गीय सेवाओं में निम्नलिखित पद सृजित है:-

क्र	पदनाम	सृजित पदों की संख्या	भरे गए पदों की संख्या
1	अधीक्षक ग्रेड-1	1	0
2	अधीक्षक ग्रेड-2	2	1
3	वरिष्ठ सहायक	5	5
4	कनिष्ठ सहायक/क्लर्क/कनिष्ठ कार्यालय सहायक	15	12

जैसा कि गत पैरा में वर्णित किया जा चुका है कि मन्दिर न्यास द्वारा अब तक अपने कर्मचारियों के सन्दर्भ में अभी तक भर्ती एवं प्रोन्नति नियम स्थापित नहीं किए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग द्वारा स्थापित लिपिक वर्गीय सेवाओं में लिपिक, वर्ग-3 (अराजपत्रित) के सन्दर्भ में स्थापित भर्ती एवं प्रोन्नति नियम 2014 के पैरा 10 के अनुसार इस श्रेणी के सृजित पदों में से 70 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। शेष में से 20 प्रतिशत पद 10+2 पास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से सीधी सीमित भर्ती द्वारा तथा 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। इन सेवाओं के सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश सरकार के समस्त विभागों, निगमों, बोर्डों व स्वायत्त संस्थाओं द्वारा इन्हीं नियमों को अपनाया गया है। यदि इन्हीं नियमों को आधार मान लिया जाए तो स्पष्ट है कि लिपिक वर्ग के इन 15 पदों में से 20 प्रतिशत – 3 पदों को सीधी सीमित भर्ती तथा 1 (1.5) पद को प्रोन्नति द्वारा मन्दिर न्यास के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से भरा जाना अपेक्षित था। मन्दिर न्यास के लिपिक वर्ग कर्मचारियों के सन्दर्भ में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.12.2016 को न्यास में चार ऐसे लिपिक कार्यरत थे जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मियों में से प्रोन्नति द्वारा ही लिपिक वर्ग में आए हैं। चूंकि मन्दिर न्यास द्वारा लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई भर्ती एवं प्रोन्नति नियम प्रतिपादित नहीं किए हैं अतः सरकार द्वारा प्रतिपादित नियमों के अनुसार इन प्रोन्नतियों को नियमित नहीं माना जा सकता है। अतः इस सम्बन्ध में अब तथ्यपरक स्पष्टीकरण के अतिरिक्त इन प्रोन्नतियों को सक्षम प्राधिकारी की विशेष कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19 गलत वेतन निर्धारण करने के कारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (एम0 पी0 डबल्यू0) को वेतन भत्तों के रूप में ₹4.10 लाख का अधिक भुगतान

मन्दिर न्यास में कार्यरत निम्न विवरणानुसार 20 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (एम0 पी0 डबल्यू0) की व्यक्तिगत नस्तरियों व सेवापंजिकाओं की जाँच करने पर पाया गया कि इन कर्मचारियों को 20 वर्ष की सेवा उपरान्त एक अतिरिक्त वेतन बढ़ोतरी प्रदान करने के कारण वेतन एवं भत्तों के रूप में निम्न विवरणानुसार ₹409930 का अधिक भुगतान किया गया है जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग के पत्र संख्या FIN (C) B(7) - 3 / 2012 दिनांक 15 दिसम्बर, 2012 के अनुसार इन कर्मचारियों को उपरोक्त वेतन बढ़ोतरी देय नहीं थी। उक्त 20 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (एम0 पी0 डबल्यू0) को नियमानुसार देय पे + ग्रेड पे का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

क्रम संख्या	वार्षिक वेतन बढ़ोतरी की तिथि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
			कार्य ग्रहण की तिथि 1-01-1996 पूर्वाहन
1	1-01-16	10260+1900=12160	

20 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (एम0 पी0 डबल्यू0) को अवधि 1-01-16 से 31-12-17 तक निम्नलिखित प्रकार से वेतन आहरित किया गया है।

क्रम संख्या	वार्षिक वेतन बढ़ोतरी की तिथि	आहरित किया गया वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
1	1-01-16	10630+1900=12530	दिनांक 1-01-16 को 20 वर्ष उपरांत गलत वार्षिक बढ़ोतरी प्रदान की गई जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग के पत्र संख्या FIN (C) B(7) - 3 / 2012 दिनांक 15 दिसम्बर, 2012 के अनुसार देय नहीं थी,

गलत वेतन बढ़ोतरी प्रदान करने के कारण वेतन व भत्तों के रूप में किए गए प्रत्येक कर्मचारी को किए गए अधिक भुगतान का विवरण निम्नानुसार है।

अवधि	देय भुगतान (पे + ग्रेड पे)	दिया गया भुगतान (पे + ग्रेड पे)	अन्तर	महंगाई भत्ते की दर @%	महंगाई भत्ते की राशि	आई आर @ 5% (1-08-16)	योग	मासों की संख्या	कुल योग
1-01-16 से	12160	12530	370	125	462.5		832.5	6	4995

30-06-16									
1-07-16 से 31-07-16	12160	12530	370	130	462.5		832.5	1	832.5
1-08-16 से 31-12-16	12160	12530	370	130	462.5	18.5	851	5	4255
1-01-17 से 30-06-17	12530	12910	380	134	462.5	19	861.5	6	5169
1-07-17 से 31-07-17	12530	12910	380	137	462.5	19	861.5	1	861.5
1-08-17 से 31-12-17	12530	12910	380	137	462.5	34.2	876.7	5	4383.5
								योग	20496.5

कर्मचारियों के नाम व पद जिनको उपरोक्त वर्णित नियमाविरुद्ध अधिक भुगतान किया गया:

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पदनाम	गलत वेतन निर्धारण करने के कारण वेतन बिलों के रूप में किए गए अधिक एवम गलत भुगतान की गई राशि
1	श्री बुधि राम	चतुर्थ श्रेणी (एम0 पी0 डबल्यू0)	20496.50
2	श्री प्रकाश चन्द	चतुर्थ श्रेणी (एम0 पी0 डबल्यू0)	20496.50
3	श्री धर्म पॉल	चतुर्थ श्रेणी (एम0 पी0 डबल्यू0)	20496.50
4	श्री रमेश कुमार	चतुर्थ श्रेणी (एम0 पी0 डबल्यू0)	20496.50
5	श्री जय सिंह	चतुर्थ श्रेणी (एम0 पी0 डबल्यू0)	20496.50
6	श्री सोम नाथ	चतुर्थ श्रेणी (एम0 पी0 डबल्यू0)	20496.50
7	श्री दिलदार सिंह	चतुर्थ श्रेणी (एम0 पी0 डबल्यू0)	20496.50
8	श्री दया राम	चतुर्थ श्रेणी (एम0 पी0 डबल्यू0)	20496.50
9	श्री सुखदेव -1	चतुर्थ श्रेणी (एम0 पी0 डबल्यू0)	20496.50
10	श्री गोपाल चन्द	चतुर्थ श्रेणी (एम0 पी0 डबल्यू0)	20496.50
11	श्री हस्त बहादुर	चतुर्थ श्रेणी (एम0 पी0 डबल्यू0)	20496.50
12	श्री नन्द लाल	चतुर्थ श्रेणी (एम0 पी0 डबल्यू0)	20496.50
13	श्री बलजिंदर कुमार	चतुर्थ श्रेणी (एम0 पी0 डबल्यू0)	20496.50
14	श्री ओम प्रकाश	चतुर्थ श्रेणी (एम0 पी0 डबल्यू0)	20496.50
15	श्री मदन लाल	चतुर्थ श्रेणी (एम0 पी0 डबल्यू0)	20496.50
16	श्री आशा राम	चतुर्थ श्रेणी (एम0 पी0 डबल्यू0)	20496.50
17	श्री किशन दयाल	चतुर्थ श्रेणी (एम0 पी0 डबल्यू0)	20496.50
18	श्री रूप लाल	चतुर्थ श्रेणी (एम0 पी0 डबल्यू0)	20496.50
19	श्री भजन सिंह	चतुर्थ श्रेणी (एम0 पी0 डबल्यू0)	20496.50

उक्त कर्मचारियों को 20 वर्ष की सेवा उपरान्त एक अतिरिक्त वेतन बढ़ोतरी प्रदान करने के कारण वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹409930 का अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 18 दिनांक 9-01-2018 के अंतर्गत मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी के ध्यानानार्थ लाया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रत्युत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः उक्त कर्मचारियों को गलत वेतन निर्धारण करने के कारण वेतन बिलों के रूप किए गए अधिक एवम गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20 श्री राजिंदर कुमार, चपरासी का गलत वेतन निर्धारण करने के कारण वेतन व भत्तों के रूप में ₹1.36 लाख का अधिक भुगतान:-

श्री राजिंदर कुमार, चपरासी की निजी नस्ति व सेवापंजिका की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी का दिनांक 27-08-09 को गलत वेतन निर्धारण करने के कारण दिनांक 27-08-09 से 31-12-17 तक वेतन के रूप में ₹136278 का अधिक किया गया है। श्री राजिंदर कुमार, चपरासी की नियुक्ति की तिथि 1-04-1991 है व उसे सुनिश्चित प्रगतिशील आजीविका योजना के अन्तर्गत दिनांक 1-04-1999 को 8 वर्ष की सेवा उपरान्त व दिनांक 1-4-2007 को 16 वर्ष की सेवा उपरान्त उक्त योजना का लाभ दिया जा चुका है। फलस्वरूप श्री राजिंदर कुमार, चपरासी का वेतन दिनांक 27-08-2009 को नियमानुसार निम्नलिखित प्रकार से पे + ग्रेड पे का निर्धारण किया जाना अपेक्षित था।

क्रम संख्या	वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
			कार्य ग्रहण की तिथि
			1-04-1991 पूर्वाहन
1	27-08-09	8920+1400=10320	4 years ACP (First)
2	27-08-09	8920+1650=10570	9 Years ACP (second)
3	27-08-09	9240+1900=11140	14 Years ACP (Third)
4	1-04-10	9580+1900=11480	

5	1-04-11	9930+1900=11830
6	1-04-12	10290+1900=12190
7	1-04-13	10660+1900=12560
8	1-04-14	11040+1900=12940
9	1-04-15	11430+1900=13330
10	1-04-16	11830+1900=13730
11	1-04-17	12250+1900=14150

उपरोक्त नियमानुसार देय पे + ग्रेड पे की जगह श्री राजिंदर कुमार, चपरासी द्वारा अवधि 27-08-09 से 31-12-17 तक निम्नलिखित प्रकार से वेतन आहरित किया गया है।

क्रम संख्या	वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	आहरित किया गया वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
1	27-08-09	8920+1400=10320	4 years ACP (First)
2	27-08-09	9230+1650=10880	9 Years ACP (second)
3	27-08-09	9560+1900=11460	14 Years ACP (Third)
4	1-04-10	9910+1900=11810	
5	1-04-11	10270+1900=12170	
6	1-04-11	10640+1900=12540	दिनांक 1-04-11 को 20 वर्ष उपरांत गलत वार्षिक बढ़ौतरी प्रदान की गई जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग के पत्र संख्या FIN (C) B(7) - 3 / 2012 दिनांक 15 दिसम्बर, 2012 के अनुसार देय नहीं थी,
7	1-04-12	11020+1900=12920	
8	1-04-13	11410+1900=13310	
9	1-04-14	11810+1900=13710	
10	1-04-15	12230+1900=14130	
11	1-04-16	12660+1900=14560	
12	1-04-17	13100+1900=15000	

अतः नियमानुसार वास्तविक रूप में देय वेतन की जगह अधिक वेतन आहरित करने के कारण श्री राजिंदर कुमार, चपरासी को वेतन व भत्तों के रूप में ₹136278 का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

अवधि	देय भुगतान (पे + ग्रेड पे)	दिया गया भुगतान (पे + ग्रेड पे)	अन्तर	महंगाई भत्ते की दर @%	महंगाई भत्ते की राशि	आई आर @ 5% (1-08-16) & 9% (1-08- 17)	योग	मासों की संख्या	कुल योग
27-08-09 से 31-12-09	11140	11460	320	27	86.4		406.4	4 माह 4 दिन	1680
1-01-10 से 31-03-10	11140	11460	320	35	112		432	3	1296
1-04-10 से 30-06-10	11480	11810	330	35	115.5		445.5	3	1336.5
1-07-10 से 31-12-10	11480	11810	330	45	148.5		478.5	6	2871
1-01-11 से 31-03-11	11480	11810	330	51	168.3		498.3	3	1494.9
1-04-11 से 30-06-11	11830	12540	710	51	362.1		1072.1	3	3216.3
1-07-11 से 31-12-11	11830	12540	710	58	411.8		1121.8	6	6730.8
1-01-12 से 31-03-12	11830	12540	710	65	461.5		1171.5	3	3514.5
1-04-12 से 30-06-12	12190	12920	730	65	474.5		1204.5	3	3613.5
1-07-12 से 31-12-12	12190	12920	730	72	525.6		1255.6	6	7533.6
1-01-13 से 31-03-13	12190	12920	730	80	584.00		1314	3	3942
1-04-13 से 30-06-13	12560	13310	750	80	600.00		1350	3	4050
1-07-13 से 31-12-13	12560	13310	750	90	675.00		1425	6	8550
1-01-14 से 31-03-14	12560	13310	750	100	750.00		1500	3	4500
1-04-14 से 30-06-14	12940	13710	770	100	770.00		1540	3	4620
1-07-14 से 31-12-14	12940	13710	770	107	823.90		1593.9	6	9563.4
1-01-15 से 31-03-15	12940	13710	770	113	870.10		1640.1	3	4920.3
1-04-15 से 30-06-15	13330	14130	800	113	904.00		1704	3	5112
1-07-15 से 31-12-15	13330	14130	800	119	952.00		1752	6	10512
1-01-16 से 31-03-16	13330	14130	800	125	1000.00		1800	3	5400

1-04-16 से 30-06-16	13730	14560	830	125	1037.50		1867.5	3	5602.5
1-07-16 से 31-07-16	13730	14560	830	130	1079.00		1909	1	1909
1-08-16 से 31-12-16	13730	14560	830	130	1079.00	42	1950.50	5	9752.5
1-01-17 से 31-03-17	13730	14560	830	134	1112.20	42	1983.70	3	5951.1
1-04-17 से 30-06-17	14150	15000	850	134	1139.00	43	2031.50	3	6094.5
1-07-17 से 31-07-17	14150	15000	850	137	1164.50	43	2057.00	1	2057
1-08-17 से 31-12-17	14150	15000	850	137	1164.50	77	2091.00	5	10455

योग = 136278

उक्त कर्मचारी को वेतन व भत्तों के रूप में ₹136278 का अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अध्याचना संख्या – 19 दिनांक 9-01-2018 के अंतर्गत मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी के ध्यानार्थ लाया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक उक्त अध्याचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः उक्त कर्मचारी को गलत वेतन निर्धारण करने के कारण वेतन व भत्तों के रूप किए गए अधिक भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त अधिक एवम गलत भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि की वसूली अविलम्ब की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

21 गलत वेतन निर्धारण के कारण कनिष्ठ अभियन्ताओं को वेतन व भत्तों के रूप में ₹3.83 लाख का अधिक भुगतान:-

मन्दिर न्यास में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं की निजी नस्तियों व सेवापंजिकाओं की जाँच करने पर पाया गया कि गलत वेतन निर्धारण करने के कारण वेतन भत्तों के रूप में श्री प्रेम चन्द शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता को ₹234955 व श्री सुनील दत्त शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता को ₹148312 कुल ₹383267 का अधिक भुगतान हुआ है। उक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं को हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या फिन (पी. आर.)- बी (7) – 59 / 2010 दिनांक 9-08-2012 (ए. सी. पी. एस. 4-9-14) तथा फिन (पी. आर.)- बी (7) – 59 / 2010 दिनांक 27-09-2012 (टाईम स्केल / ए. सी. पी. एस. 2-10-20) द्वारा अधिसूचित दोनों योजनाओं का लाभ देते हुए क्रमशः 27-08-09 तथा 1-10-12 को अनियमित वेतन निर्धारण किया गया है जबकि नियमों के अनुसार कोई भी

कर्मचारी एक ही योजना के अन्तर्गत लाभ पाने का हकदार है। उक्त कर्मचारियों का नियमानुसार निम्नलिखित प्रकार से वेतन निर्धारण किया जाना अपेक्षित था।

(1) श्री प्रेम चन्द शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता

क्रम संख्या	वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
			कार्य ग्रहण की तिथि 1-04-1994
1	27-08-09	17040+4200=21240	
2	1-01-10	17040+4200=21240	
3	1-04-10	18340+4800=23140	2 nd 16 years ACPs
4	1-04-11	19040+4800=23840	
5	1-04-12	19760+4800=24560	
6	1-10-12	19760+5400=25160	ACP vide order dated 27-09-12 (10 years service)
7	1-04-13	20520+5400=25920	
8	1-04-14	21300+6600=27900	Annual increment and ACP vide order 27-09-12 (20 years service)
9	1-04-15	22140+6600=28740	
10	1-04-16	23010+6600=29610	
11	1-04-17	23900+6600=30500	

उक्त कर्मचारी का निम्नलिखित प्रकार से वेतन निर्धारित किया गया था।

क्रम संख्या	वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	आहरित किया गया वेतन (पे + ग्रेड पे)
1	27-08-09	18350+4600=22950
2	1-01-10	18350+4600=22950
3	1-04-10	19040+4600=23640
4	1-04-11	19750+4600=24350
5	1-04-12	20480+4600=25080
6	1-10-12	20480+5400=25880
7	1-04-13	21260+5400=26660
8	1-04-14	22920+6600=29520
9	1-04-15	23810+6600=30410
10	1-04-16	24730+6600=31330
11	1-04-17	25670+6600=32270

गलत वेतन निर्धारण करने के कारण श्री प्रेम चंद शर्मा को वेतन व भत्तों के रूप में किए गए अधिक एवम गलत भुगतान का विवरण निम्नानुसार है।

अवधि	देय भुगतान (पे + ग्रेड पे)	महं गाई भत्ते की दर @%	महंगा ई भत्ते की राशि	आई आर @ 5% (1- 08-16) & 9% (1-08- 17)	योग	दिया गया भुगतान (पे + ग्रेड पे)	महं गाई भत्ते की दर @%	महंगाई भत्ते की राशि	आई आर @ 5% (1-08- 16) & 9% (1-08- 17)	योग	अन्तर	मासों की सं०	कुल योग
27-08-09 से 31-08-09	21240	27	5735		26975	22950	27	6197		29147	2172	5 दिन	350
1-09-09 से 31-12-09	21240	27	5735		26975	22950	27	6197		29147	2172	4	8688
1-01-10 से 31-03-10	21240	35	7434		28674	22950	35	8033		30983	2309	3	6927
1-04-10 से 30-06-10	23140	35	8099		31239	23640	35	8274		31914	675	3	2025
1-07-10 से 31-12-10	23140	45	10413		33553	23640	45	10638		34278	725	6	4350
1-01-11 से 31-03-11	23140	51	11801		34941	23640	51	12056		35696	755	3	2265
1-04-11 से 30-06-11	23840	51	12158		35998	24350	51	12419		36769	771	3	2313
1-07-11 से 31-12-11	23840	58	13827		37667	24350	58	14123		38473	806	6	4836
1-01-12 से 31-03-12	23840	65	15496		39336	24350	65	15828		40178	842	3	2526
1-04-12 से 30-06-12	24560	65	15964		40524	25080	65	16302		41382	858	3	2574
1-07-12 से 30-09-12	24560	72	17683		42243	25080	72	18058		43138	895	3	2685
1-10-12 से 31-12-12	25160	72	18115		43275	25880	72	18634		44514	1239	3	3717
1-01-13 से 31-03-13	25160	80	20128		45288	25880	80	20704		46584	1296	3	3888
1-04-13 से 30-06-13	25920	80	20736		46656	26660	80	21328		47988	1332	3	3996
1-07-13 से 31-12-13	25920	90	23328		49248	26660	90	23994		50654	1406	6	8436
1-01-14 से 31-03-14	25920	100	25920		51840	26660	100	26660		53320	1480	3	4440
1-04-14 से 30-06-14	27900	100	27900		55800	29520	100	29520		59040	3240	3	9720
1-07-14 से 31-12-14	27900	107	29853		57753	29520	107	31586		61106	3353	6	20118
1-01-15 से 31-03-15	27900	113	31527		59427	29520	113	33358		62878	3451	3	10353
1-04-15 से 30-06-15	28740	113	32476		61216	30410	113	34363		64773	3557	3	10671
1-07-15 से 31-12-15	28740	119	34201		62941	30410	119	36188		66598	3657	6	21942
1-01-16 से 31-03-16	28740	125	35925		64665	30410	125	38013		68423	3758	3	11274

1-04-16 से 30-06-16	29610	125	37013		66623	31330	125	39163		70493	3870	3	11610
1-07-16 से 31-07-16	29610	130	38493		68103	31330	130	40729		72059	3956	1	3956
1-08-16 से 31-12-16	29610	130	38493	1481	69584	31330	130	40729	1567	73626	4042	5	20210
1-01-17 से 31-03-17	29610	134	39677	1481	70768	31330	134	41982	1567	74879	4111	3	12333
1-04-17 से 30-06-17	30500	134	40870	1525	72895	32270	134	43242	1614	77126	4231	3	12693
1-07-17 से 31-07-17	30500	137	41785	1525	73810	32270	137	44210	1614	78094	4284	1	4284
1-08-17 से 31-12-17	30500	137	41785	2745	75030	32270	137	44210	2905	79385	4355	5	21775
योग													234955

(2) श्री सुनील दत्त शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता

क्रम संख्या	वार्षिक वेतन बढ़ाव की तिथि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
कार्य ग्रहण की तिथि 1-05-98			
1	27-08-09	15760+4200=19960	
2	1-01-10	15760+4200=19960	
3	1-05-10	16360+4200=20560	
4	1-05-11	16980+4200=21180	
5	1-05-12	17620+4200=21820	
6	1-10-12	17620+5400=23020	ACP vide order dated 27-09-12 (10 years service)
7	1-05-13	18310+5400=23710	
8	1-05-14	19030+5400=24430	
9	1-05-15	19770+5400=25170	
10	1-05-16	20530+5400=25930	
11	1-05-17	21310+5400=26710	

उक्त कर्मचारी का निम्नलिखित प्रकार से वेतन निर्धारित किया गया था ।

क्रम संख्या	वार्षिक वेतन बढ़ाव की तिथि	आहरित किया गया वेतन (पे + ग्रेड पे)
1	27-08-09	16360+4400=20760
2	1-01-10	16360+4400=20760
3	1-05-10	16990+4400=21390
4	1-05-11	17640+4400=22040
5	1-05-12	18310+4400=22710
6	1-10-12	18310+5400=23710
7	1-05-13	19030+5400=24430

8	1-05-14	19770+5400=25170
9	1-05-15	20530+5400=25930
10	1-05-16	21310+5400=26710
11	1-05-17	22120+5400=27520

गलत वेतन निर्धारण करने के कारण श्री सुनील दत्त शर्मा वेतन व भत्तों के रूप में किए गए अधिक एवम गलत भुगतान का विवरण निम्नानुसार है।

अवधि	देय भुगतान (पे + ग्रेड पे)	महं गाई भत्ते की दर @%	महंगा ई भत्ते की राशि	आई आर @ 5% (1-08-16) & 9% (1-08-17)	योग	दिया गया भुगतान (पे + ग्रेड पे)	महं गाई भत्ते की दर @%	महंगाई भत्ते की राशि	आई आर @ 5% (1-08-16) & 9% (1-08-17)	योग		मासों की संख्या	कुल योग
27-8-09 से 31-08-09	19960	27	5389		25349	20760	27	5605		26365	1016	5 दिन	164
1-09-09 से 31-12-09	19960	27	5389		25349	20760	27	5605		26365	1016	4	4064
1-01-10 से 30-04-10	19960	35	6986		26946	20760	35	7266		28026	1080	4	4320
1-05-10 से 30-06-10	20560	35	7196		27756	21390	35	7487		28877	1121	2	2242
1-07-10 से 31-12-10	20560	45	9252		29812	21390	45	9626		31016	1204	6	7224
1-01-11 से 30-04-11	20560	51	10486		31046	21390	51	10909		32299	1253	4	5012
1-05-11 से 30-06-11	21180	51	10802		31982	22040	51	11240		33280	1298	2	2596
1-07-11 से 31-12-11	21180	58	12284		33464	22040	58	12783		34823	1359	6	8154
1-01-12 से 30-04-12	21180	65	13767		34947	22040	65	14326		36366	1419	4	5676
1-05-12 से 30-06-12	21820	65	14183		36003	22710	65	14762		37472	1469	2	2938
1-07-12 से 30-09-12	21820	72	15710		37530	22710	72	16351		39061	1531	3	4593
1-10-12 से 31-12-12	23020	72	16574		39594	23710	72	17071		40781	1187	3	3561
1-01-13 से 30-04-13	23020	80	18416		41436	23710	80	18968		42678	1242	4	4968
1-05-13 से 30-06-13	23710	80	18968		42678	24430	80	19544		43974	1296	2	2592
1-07-13 से 31-12-13	23710	90	21339		45049	24430	90	21987		46417	1368	6	8208
1-01-14 से 30-04-14	23710	100	23710		47420	24430	100	24430		48860	1440	4	5760
1-05-14 से 30-06-14	24430	100	24430		48860	25170	100	25170		50340	1480	2	2960

1-07-14 से 31-12-14	24430	107	26140		50570	25170	107	26932		52102	1532	6	9192
1-01-15 से 30-04-15	24430	113	27606		52036	25170	113	28442		53612	1576	4	6304
1-05-15 से 30-06-15	25170	113	28442		53612	25930	113	29301		55231	1619	2	3238
1-07-15 से 31-12-15	25170	119	29952		55122	25930	119	30857		56787	1665	6	9990
1-01-16 से 30-04-16	25170	125	31463		56633	25930	125	32413		58343	1710	4	6840
1-05-16 से 30-06-16	25930	125	32413		58343	26710	125	33388		60098	1755	2	3510
1-07-16 से 31-07-16	25930	130	33709		59639	26710	130	34723		61433	1794	1	1794
1-08-16 से 31-12-16	25930	130	33709	1297	60936	26710	130	34723	1336	62769	1833	5	9165
1-01-17 से 30-04-17	25930	134	34746	1297	61973	26710	134	35791	1336	63837	1864	4	7456
1-05-17 से 30-06-17	26710	134	35791	1336	63837	27520	134	36877	1376	65773	1936	2	3872
1-07-17 से 31-07-17	26710	137	36593	1336	64639	27520	137	37702	1376	66598	1959	1	1959
1-08-17 से 31-12-17	26710	137	36593	2404	65707	27520	137	37702	2477	67699	1992	5	9960
योग													148312

उपरोक्त उल्लेखित गलत वेतन निर्धारण करने के कारण वेतन व भत्तों के रूप में श्री प्रेम चन्द शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता को ₹23495 व श्री सुनील दत्त शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता को ₹148312 कुल ₹ 383267 के अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या- अं. वृ. बिलासपुर/एल. ए. डी. /2018 - 8 दिनांक 8-01-2018 के अन्तर्गत मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रत्युत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः उक्त गलत वेतन निर्धारण करने के कारण वेतन बिलों व वकाया वेतन बिलों के रूप में श्री प्रेम चन्द शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता को ₹234955 व श्री सुनील दत्त शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता को ₹148312 कुल ₹383267 के अधिक एवं गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक एवं गलत भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

22 श्री अरविन्द शोरी वरिष्ठ सहायक के वेतन निर्धारण में त्रुटि के कारण ₹0.39 लाख का अधिक भुगतान

मन्दिर न्यास के अवधि 1.1.2014 से 31.12.2016 तक के तीन वर्षों के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि श्री अरविन्द शोरी वरिष्ठ सहायक को हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या फिन(पी. आर)-बी(7) -59/2010 दिनांक 09.08.2012 (ए. सी. पी. एस. 4-9-14) द्वारा अधिसूचित योजना का लाभ देते हुए वेतन निर्धारण/पुनः निर्धारण में दिनांक 01.12.2014 को (उन्हें स्थानापन्न द्वारा लिपिक से कनिष्ठ सहायक बनाए जाने की दिनांक) के समय ग्रेड पे को ₹3200 से ₹3600 पर बढ़ाने के अतिरिक्त अनियमित रूप से एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है। जबकि लिपिक से कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थानापन्न पश्चात मूल वेतन निर्धारण के समय दिनांक 1.12.2014 उन्हें उचित तरीके से मात्र ग्रेड पे बढ़ाकर ही वेतन निर्धारण किया गया था। इस गलत व अतिरिक्त वेतन वृद्धि के परिणाम स्वरूप दिनांक 01.12.2014 से 31.12.2017 तक श्री शोरी को निम्न तालिका में दिए विवरणानुसार ₹39,419 का अधिक भुगतान हुआ पाया गया है। इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु मन्दिर अधिकारी को अंकेक्षण अध्याचना संख्या: अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/-11 दिनांक: 15-01-2018 द्वारा कहा गया था जिसका प्रत्युत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से शीघ्रातिशीघ्र करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

श्री अरविन्द शोरी, वरिष्ठ सहायक के पक्ष में न्यास द्वारा किए गए गलत वेतन निर्धारण तथा अपेक्षित सही वेतन निर्धारण का विवरण

लिपिक पद पर प्रथम नियुक्ति की दिनांक:- 05.09.1996							
वार्षिक वेतनवृद्धि की दिनांक:- 01 अक्टूबर व वर्ष 2017 से 01 दिसम्बर							
	गलत किया गया वेतन निर्धारण			अपेक्षित सही वेतन निर्धारण			टिप्पणी/परिवर्तन का कारण
दिनांक	पे बैंड में वेतन	ग्रेड पे	कुल मूल वेतन	पे बैंड में वेतन	ग्रेड पे	कुल मूल वेतन	
01.10.2014	11820	3200	15020	11820	3200	15020	वार्षिक वेतनवृद्धि
01.12.2014	12270	3600	15870	11820	3600	15420	कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थानापन्न।
01.10.2015	12750	3600	16350	12290	3600	15890	वार्षिक वेतनवृद्धि
01.10.2016	13240	3600	16840	12770	3600	16370	वार्षिक वेतनवृद्धि
06.12.2016	13750	4400	18150	13270	4400	17670	वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नति।

01.11.2017	14300	4400	18700	13800	4400	18200	वर्षिक वेतनवृद्धि
------------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------------------

श्री अरविन्द शोरी, वरिष्ठ सहायक को किए गए अधिक भुगतान का विवरण

Prion	DA %age	Drawn				Due				Excess Payment		
		Basic Pay	DA	IR - I & II @ 5% from 1-8-16 and 9% from 1-8-17	Total	Basic Pay	DA	IR - I & II @ 5% from 1-8-16 and 9% from 1-8-17	Total	Recovery per month	Period (Days/ months)	Total Recovery
1.12.14 to 31.12.14	107	15870	16981		32851	15420	16499		31919	932	1	932
	113	15870	17933		33803	15420	17425		32845	958	6	5748
1/15 to 6/15	119	15870	18885		34755	15420	18350		33770	985	3	2955
7/15 to 9/15	119	16350	19457		35807	15890	18909		34799	1008	3	3024
10/15 to 12/15	125	16350	20438		36788	15890	19863		35753	1035	6	6210
1/16 to 6/16	130	16350	21255		37605	15890	20657		36547	1058	1	1058
1/7/16 to 31/7/16	130	16350	21255	818	38423	15890	20657	795	37342	1081	2	2162
1.8.16 to 30.9.16	130	16840	21892	842	39574	16370	21281	819	38470	1104	2	2208
10/16 to 11/16	130	16840	21892	842	39574	16370	21281	819	38470	1104	5 days	178
1/12/16 to 31/12/16	130	18150	23595	908	42653	17670	22971	884	41525	1128	26 days	946
6/12/16 to 05/12/16	134	18150	24321	908	43379	17670	23678	884	42232	1147	6	6882
1.1.17 to 30.6.17	137	18150	24866	908	43924	17670	24208	884	42762	1162	1	1162
1/7/17 to 31/7/17	137	18150	24866	1634	44650	17670	24208	1591	43469	1181	4	4724
1/8/17 to 30/11/17 1/12/17 to 31/11/17	137	18700	25619	1683	46002	18200	24934	1638	44772	1230	1	1230
Total Recovery												39419

23 श्री वीरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक के वेतन निर्धारण में त्रुटि के कारण ₹0.40 लाख का अधिक भुगतान

मन्दिर न्यास के अवधि 1.1.2014 से 31.12.2016 तक के तीन वर्षों के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि श्री वीरेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक को हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या फिन(पी. आर)–बी(7) –59/2010 दिनांक 09.08.2012 (ए. सी. पी. एस. 4–9–14) द्वारा अधिसूचित योजना का लाभ देते हुए वेतन निर्धारण/पुनः निर्धारण में दिनांक 01.12.2014 को (उन्हें स्थानापन्न द्वारा लिपिक से कनिष्ठ सहायक बनाए जाने की दिनांक) के समय ग्रेड पे को ₹3200 से ₹3600 पर बढ़ाने के अतिरिक्त अनियमित रूप से एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है। जबकि लिपिक से कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थानापन्न पश्चात मूल वेतन निर्धारण के समय दिनांक 1.12.2014 उन्हें उचित तरीके से मात्र ग्रेड पे बढ़ाकर ही वेतन निर्धारण किया गया था। इस गलत व अतिरिक्त वेतन वृद्धि के परिणाम स्वरूप दिनांक 01.12.2014 से 31.12.2017 तक श्री वीरेन्द्र को निम्न तालिका में दिए विवरणानुसार ₹39,958 का अधिक भुगतान हुआ पाया गया है। इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु मन्दिर अधिकारी को अंकेक्षण अध्याचना संख्या: अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/–11 दिनांक: 15–01–2018 द्वारा कहा गया था जिसका प्रत्युत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से शीघ्रातिशीघ्र करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

श्री वीरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक के पक्ष में न्यास द्वारा किए गए गलत वेतन निर्धारण तथा अपेक्षित सही वेतन निर्धारण का विवरण:—

लिपिक पद पर प्रथम नियुक्ति की दिनांक:— 01.01.1996							
वार्षिक वेतनवृद्धि की दिनांक:— 01 फरवरी							
	गलत किया गया वेतन निर्धारण			अपेक्षित सही वेतन निर्धारण			टिप्पणी/परिवर्तन का कारण
दिनांक	पे बैंड में वेतन	ग्रेड पे	कुल मूल वेतन	पे बैंड में वेतन	ग्रेड पे	कुल मूल वेतन	
01.12.14 से 31.12.14	12270	3600	15870	11820	3600	15420	कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थानापन्न।
01.02.2015 से 31.1.2015	12750	3600	16350	12290	3600	15890	वार्षिक वेतनवृद्धि
01.02.2016	13240	3600	16840	12770	3600	16370	वार्षिक वेतनवृद्धि

15.12.2016	13240	4400	17640	12770	4400	17170	वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नति के बाद एफ. आर. 22(1)ए(1) के अनुसार वेतन निर्धारण 01.02.2017 को किया गया।
01.02.2017	14270	4400	18670	13780	4400	18180	—यथोपरि—

श्री वीरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक को किए गए अधिक भुगतान का विवरण:—

Date	DA % age	Drawn				Due				Excess Payment		
		Basic Pay	DA	IR - I & II @ 5% from 1-8-16 and 9% from 1-8-17	Total	Basic Pay	DA	IR - I & II @ 5% from 1-8-16 and 9% from 1-8-17	Total	Recovery per month	Period (Days/ months)	Total Recovery
1/12/2014	107	15870	16981		32851	15420	16499		31919	932	1	932
1/1/2015	113	15870	17933		33803	15420	17425		32845	958	1	958
1/2/2015 to 30/6/15	113	16350	18476		34826	15890	17956		33846	980	5	4900
1/7/2015	119	16350	19457		35807	15890	18909		34799	1008	6	6048
1/1/2016	125	16350	20438		36788	15890	19863		35753	1035	1	1035
1/2/2016	125	16840	21050		37890	16370	20463		36833	1057	5	5285
1/7/2016	130	16840	21892		38732	16370	21281		37651	1081	1	1081
1/8/2016	130	16840	21892	842	39574	16370	21281	819	38470	1104	4	4416
1/12/2016	130	16840	21892	842	39574	16370	21281	819	38470	1104	14 days	499
15/12/2016	130	17640	22932	882	41454	17170	22321	859	40350	1104	17 days	605
1/1/2017	134	17640	23638	882	42160	17170	23008	859	41037	1123	1	1123
1/2/2017	134	18670	25018	934	44622	18180	24361	909	43450	1172	5	5860
1/7/2017	137	18670	25578	934	45182	18180	24907	909	43996	1186	1	1186
1/8/2017	137	18670	25578	1681	45929	18180	24907	1636	44723	1206	5	6030
Total Recovery												39958

24 श्री केवल कृष्ण, लिपिक को 01.01.2006 से संशोधित वेतनमान का लाभ प्रदान

करते समय गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹0.50 लाख का अधिक भुगतान

मन्दिर न्यास के अवधि 1.4.2014 से 31.12.2016 तक के तीन वर्षों के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि श्री केवल कृष्ण, लिपिक को हिमाचल प्रदेश सरकार,

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या फिन(पी. आर)-बी(7) -1/2009 दिनांक 26.08.2009 द्वारा अधिसूचित संशोधित वेतनमान का लाभ देते हुए उनके दिनांक 31.12.2005 को ₹3120-5160 के वेतनमान में उनके मूल वेतन ₹4020 के विरुद्ध संशोधित वेतनमान ₹5910-20200 + 1900 ग्रेड पे में ₹7480+1900=₹9380 (फिटमेंट टेबल -4 के अनुसार) दिया जाना अपेक्षित था। परन्तु इसके स्थान पर उन्हें दिनांक 01.06.2006 की पुराने वेतनमान में वार्षिक वेतनवृद्धि देने के पश्चात के वेतन ₹4120 के विरुद्ध संशोधित वेतनमान में ₹7710+1900=₹9610 पर निर्धारित करने के पश्चात पुनः दिनांक 01.01.2006 को ही एक और वेतनवृद्धि दी गई है अर्थात् दिनांक 01.01.2006 को उन्हें पुराने व नए दोनों वेतनमान में वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया गया है। इस चूक के कारण निम्न तालिका में की गई गणनानुसार दिनांक 01.01.2006 से दिनांक 08.08.2012 तक कुल ₹50047 के अधिक वेतन का भुगतान किया गया है। हालांकि सेवापंजी के पृष्ठ 26-27 पर दर्ज दिनांक 09.08.2017 की प्रविष्टि के अनुसार मन्दिर न्यास द्वारा वेतनमान संशोधन सम्बन्धी इस चूक का निवारण करते हुए संशोधित वेतन निर्धारण/दर्ज कर दिया गया है परन्तु उपरोक्त ₹50,047 के अधिक भुगतान की वसूली करने के स्थान पर न्यास द्वारा श्री केवल कृष्ण को वाउचर संख्या 729 दिनांक 15.09.2017 द्वारा ₹62416 ए. सी. पी. एस. 4-9-14 के अन्तर्गत बकाया राशि का भुगतान किया गया है। इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु मन्दिर अधिकारी को अंकेक्षण अध्याचना संख्या: अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/-15 दिनांक: 22-01-2018 द्वारा कहा गया था जिसका प्रत्युत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से शीघ्रातिशीघ्र करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

श्री केवल कृष्ण, लिपिक के पक्ष में न्यास द्वारा किए गए गलत वेतन निर्धारण तथा अपेक्षित सही वेतन निर्धारण का विवरण:-

लिपिक पद पर प्रथम नियुक्ति/पदोन्नति की दिनांक:- 28.06.21998							
वार्षिक वेतनवृद्धि की दिनांक:- 01 जून							
	गलत किया गया वेतन निर्धारण			अपेक्षित सही वेतन निर्धारण			टिप्पणी/परिवर्तन का कारण
दिनांक	पे बैंड में वेतन	ग्रेड पे	कुल मूल वेतन	पे बैंड में वेतन	ग्रेड पे	कुल मूल वेतन	
1.1.2006	7710	1900	9610	7480	1900	9380	वेतनमान संशोधन
1.6.2006	8000	1900	9900	7770	1900	9670	वार्षिक वेतनवृद्धि
29.6.2006	8300	1950	10250	8060	1950	10010	ए.सी.पी.एस.-1 (आठ वर्ष पश्चात)

1.6.2007	8610	1950	10560	8360	1950	10310	वर्षिक वेतनवृद्धि
1.6.2008	8930	1950	10880	8360	1950	10310	वर्षिक वेतनवृद्धि
1.6.2009	9260	1950	11210	8670	1950	10620	वर्षिक वेतनवृद्धि
1.6.2010	9600	1950	11550	8990	1950	10940	वर्षिक वेतनवृद्धि
1.6.2011	9950	1950	11900	9320	1950	11270	वर्षिक वेतनवृद्धि
1.6.2012	10310	1950	12260	9660	1950	11610	वर्षिक वेतनवृद्धि

श्री केवल कृष्ण को किए गए अधिक भुगतान का विवरण:-

Date	DA % age	Drawn			Due			Differen ce per month	Period/ months	Total Recovery
		Basic pay	DA	Total	Basic pay	DA	Total			
1/1/2006	0	9610	0	9610	9380	0	9380	230	5	1150
1/6/2006	0	9900	0	9900	9670	0	9670	230	28 days	215
29/06/2006	0	10250	0	10250	10010	0	10010	240	2 days	16
1/7/2006	2	10250	205	10455	10010	200	10210	245	6	1470
1/1/2007	6	10250	615	10865	10010	601	10611	254	5	1270
1/6/2007	6	10560	634	11194	10310	619	10929	265	1	265
1/7/2007	9	10560	950	11510	10310	928	11238	272	6	1632
1/1/2008	12	10560	1267	11827	10310	1237	11547	280	5	1400
1/6/2008	12	10880	1306	12186	10310	1237	11547	639	1	639
1/7/2008	16	10880	1741	12621	10310	1650	11960	661	6	3966
1/1/2009	22	10880	2394	13274	10310	2268	12578	696	5	3480
1/6/2009	22	11210	2466	13676	10620	2336	12956	720	1	720
1/7/2009	27	11210	3027	14237	10620	2867	13487	750	6	4500
1/1/2010	35	11210	3924	15134	10620	3717	14337	797	5	3985
1/6/2010	35	11550	4043	15593	10940	3829	14769	824	1	824
1/7/2010	45	11550	5198	16748	10940	4923	15863	885	6	5310
1/1/2011	51	11550	5891	17441	10940	5579	16519	922	5	4610
1/6/2011	51	11900	6069	17969	11270	5748	17018	951	1	951
1/7/2011	58	11900	6902	18802	11270	6537	17807	995	6	5970
1/1/2012	65	11900	7735	19635	11270	7326	18596	1039	5	5195
1/6/2012	65	12260	7969	20229	11610	7547	19157	1072	1	1072
1/7/2012	65	12260	8827	21087	11610	8359	19969	1118	1 m 8 days	1407
						Total Recovery				50047

25 श्री केवल कृष्ण, लिपिक के अवैतनिक अवकाश के गलत समायोजन के कारण अनुचित वेतनवृद्धियां दिए जाने बारे

श्री केवल कृष्ण की सेवा पंजी की जांच में यह भी पाया गया कि वह अधिकतर अवैतनिक अवकाश पर रहते हैं जिस कारण से उनके पक्ष में दिनांक 01.06.2012 के पश्चात वर्ष 2017 तक कोई भी वार्षिक वेतनवृद्धि जारी नहीं की गई थी। मन्दिर अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय आदेश संख्या बी एल एस— टी टी एन डी— डी पी सी— 2017— 3585 से 3587 दिनांक 09.08.2017 को श्री केवल कृष्ण के पक्ष में हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या फिन(पी. आर)—बी(7) —59/2010 दिनांक 09.08.2012 (ए. सी. पी. एस. 4—9—14) द्वारा अधिसूचित योजना के लाभ जारी किया गया है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें वाउचर संख्या 729 दिनांक 15.09.2017 द्वारा ₹62,416 का बकाया के रूप में भुगतान किया गया है। इस लाभ को जारी करते समय उनके द्वारा लिए गए दिनांक 14.10.2011 से 21.06.2015 तक के दौरान लिए गए 763 दिनों के अवैतनिक अवकाश को को समायोजित करने का प्रयत्न किया गया था परन्तु इस समायोजन में बहुत सी त्रुटियां पाई गई हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:—

- 1 दिनांक 01.06.2012 को देय सामान्य वार्षिक वेतनवृद्धि पिछले एक वर्ष के दौरान के 77 दिन के अवैतनिक अवकाश के कारण दिनांक 17.08.2012 को जारी की जानी अपेक्षित थी जिसे दिनांक 10.07.2012 को 38 दिन पहले ही जारी कर दिया गया है। अगली वार्षिक वेतनवृद्धि की दिनांक सामान्यतः 01.08.2013 होगी।
- 2 इसी प्रकार दिनांक 29.06.2012 को 14 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने के कारण दिनांक 09.08.2012 को ए. सी. पी. एस . के अन्तर्गत देय 14 वर्षों का लाभ भी 29.06.2012 (14 वर्ष पूर्ण होने की सामान्य दिनांक) तक कर्मचारी द्वारा व्यतीत 60 दिनों के अवैतनिक अवकाश के कारण इतने ही कार्यदिवसों के लिए आगे बढ़ाया जाना अपेक्षित था। इन 60 दिनों के अतिरिक्त 29.06.2012 के पश्चात भी कर्मचारी द्वारा अवैतनिक अवकाश व्यतीत करने के कारण आवश्यक 14 वर्षों का कार्यकाल वास्तव में दिनांक 26.03.2013 को पूर्ण होता है। परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा इस लाभ को दिनांक 17.08.2012 को जारी कर दिया गया है।
- 3 दिनांक 01.08.2013 को देय सामान्य वार्षिक वेतनवृद्धि पिछले एक वर्ष के दौरान के 674 दिन के अवैतनिक अवकाश के कारण दिनांक 07.06.2015 को जारी की जानी अपेक्षित थी जिसे दिनांक 09.05.2015 को 29 दिन पहले ही जारी कर दिया गया है। अगली वार्षिक वेतनवृद्धि की दिनांक सामान्यतः 01.06.2016 होगी।
- 4 दिनांक 01.06.2016 को देय सामान्य वार्षिक वेतनवृद्धि पिछले एक वर्ष के दौरान के 10 दिन के अवैतनिक अवकाश के कारण दिनांक 11.06.2016 को जारी की जानी अपेक्षित थी

जिसे दिनांक 01.05.2016 को 41 दिन पहले ही जारी कर दिया गया है। अगली वार्षिक वेतनवृद्धि की दिनांक सामान्यतः 01.06.2017 होगी।

इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु मन्दिर अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या: अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/-15 दिनांक: 22-01-2018 द्वारा कहा गया था जिसका प्रत्युत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ। अतः इन त्रुटियों के कारण हुए बकाया के अधिक भुगतान की पुनः गणना करके तथा उसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से शीघ्रातिशीघ्र करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26 श्री अजीत कुमार, नौबती को गलत वेतन वृद्धि देकर ₹0.50 लाख का अधिक भुगतान

मन्दिर न्यास के अवधि 1.1.2014 से 31.12.2016 तक के तीन वर्षों के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि श्री अजीत कुमार, नौबती को हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या फिन(पी. आर)-बी(7) -59/2010 दिनांक 09.08.2012 (ए. सी. पी. एस. 4-9-14) द्वारा अधिसूचित योजना का लाभ देते हुए वेतन निर्धारण/पुनः निर्धारण में दिनांक 27.08.2009 को अंकेक्षण द्वारा गत अंकेक्षण के दौरान स्वीकृत/जांचे गए ₹8320 (6920+1400) के वेतन के स्थान पर ₹8800 (7400+1400) से वेतन पुनः निर्धारण किया गया है। इस गलत वेतन निर्धारण के परिणाम स्वरूप दिनांक 27.08.2009 से 31.12.2017 तक श्री अजीत को निम्न विवरणी अनुसार ₹49881 का अधिक भुगतान किया गया। इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु मन्दिर अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या: अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/-12 दिनांक: 16-01-2018 द्वारा कहा गया था जिसका प्रत्युत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से शीघ्रातिशीघ्र करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

श्री अजीत कुमार, नौबती के पक्ष में न्यास द्वारा किए गए गलत वेतन निर्धारण तथा अपेक्षित सही वेतन निर्धारण का विवरण:-

नौबती पद पर प्रथम नियुक्ति की दिनांक:- 05.11.1997							
वार्षिक वेतनवृद्धि की दिनांक:- 01 नवम्बर							
	गलत किया गया वेतन निर्धारण			अपेक्षित सही वेतन निर्धारण			टिप्पणी/परिवर्तन का कारण
दिनांक	पे बैंड में वेतन	ग्रेड पे	कुल मूल वेतन	पे बैंड में वेतन	ग्रेड पे	कुल मूल वेतन	
27.08.2009	7400	1650	9050	7170	1650	8820	ए.सी.पी.एस.-2 (नौ वर्ष पश्चात)
01.11.2009	7680	1650	9330	7440	1650	9090	वार्षिक वेतनवृद्धि
01.11.2010	7960	1650	9610	7720	1650	9370	वार्षिक वेतनवृद्धि

01.11.2011	8250	1650	9900	8010	1650	9660	वर्षिक वेतनवृद्धि
05.11.2011	8550	1900	10450	8310	1900	10210	ए.सी.पी.एस.-3 (14 वर्ष पश्चात)
01.11.2012	8870	1900	10770	8620	1900	10520	वर्षिक वेतनवृद्धि
01.11.2013	9200	1900	11100	8940	1900	10840	वर्षिक वेतनवृद्धि
01.11.2014	9540	1900	11440	9270	1900	11170	वर्षिक वेतनवृद्धि
01.11.2015	9890	1900	11790	9610	1900	11510	वर्षिक वेतनवृद्धि
01.11.2016	10250	1900	12150	9960	1900	11860	वर्षिक वेतनवृद्धि
01.11.2017	10620	1900	12520	10320	1900	12220	वर्षिक वेतनवृद्धि

श्री अजीत कुमार, नौबती को किए गए अधिक भुगतान का विवरण:-

Date	DA %age	Drawn				Due				Excess Payment		
		Basic Pay	DA	IR - I & II @ 5% from 1-8-16 and 9% from 1-8-17	Total	Basic Pay	DA	IR - I & II @ 5% from 1-8-16 and 9% from 1-8-17	Total	Recovery per month	Period (Days/months)	Total Recovery
27-08-09	27	9050	2444		11494	8820	2381		11201	293	5days	47
1/9/2009	27	9050	2444		11494	8820	2381		11201	293	2	586
1/11/2009	27	9330	2519		11849	9090	2454		11544	305	2	610
1/1/2010	35	9330	3266		12596	9090	3182		12272	324	6	1944
1/7/2010	45	9330	4199		13529	9090	4091		13181	348	4	1392
1/11/2010	45	9610	4325		13935	9370	4217		13587	348	2	696
1/1/2011	51	9610	4901		14511	9370	4779		14149	362	6	2172
1/7/2011	58	9610	5574		15184	9370	5435		14805	379	4	1516
1/11/2011	58	9900	5742		15642	9660	5603		15263	379	4 days	51
5/11/2011	58	10450	6061		16511	10210	5922		16132	379	1 m 26 Days	707
1/1/2012	65	10450	6793		17243	10210	6637		16847	396	6	2376
1/7/2012	72	10450	7524		17974	10210	7351		17561	413	4	1652
1/11/2012	72	10770	7754		18524	10520	7574		18094	430	2	860
1/1/2013	80	10770	8616		19386	10520	8416		18936	450	6	2700
1/7/2013	90	10770	9693		20463	10520	9468		19988	475	4	1900
1/11/2013	90	11100	9990		21090	10840	9756		20596	494	2	988
1/1/2014	100	11100	11100		22200	10840	10840		21680	520	6	3120
1/7/2014	107	11100	11877		22977	10840	11599		22439	538	4	2152
1/11/2014	107	11440	12241		23681	11170	11952		23122	559	2	1118
1/1/2015	113	11440	12927		24367	11170	12622		23792	575	6	3450

1/7/2015	119	11440	13614		25054	11170	13292		24462	592	4	2368
1/11/2015	119	11790	14030		25820	11510	13697		25207	613	2	1226
1/1/2016	125	11790	14738		26528	11510	14388		25898	630	6	3780
1/7/2016	130	11790	15327		27117	11510	14963		26473	644	1	644
1/8/2016	130	11790	15327	590	27707	11510	14963	576	27049	658	3	1974
1/11/2016	130	12150	15795	608	28553	11860	15418	593	27871	682	2	1364
1/1/2017	134	12150	16281	608	29039	11860	15892	593	28345	694	6	4164
1/7/2017	137	12150	16646	608	29404	11860	16248	593	28701	703	1	703
1/8/2017	137	12150	16646	1094	29890	11860	16248	1067	29175	715	3	2145
1/11/2017	137	12520	17152	1127	30799	12220	16741	1100	30061	738	2	1476
Total Recovery												49881

27 गलत वेतन निर्धारण करने के कारण मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी में कार्यरत सफाई कर्मचारियों, चपरासी, निगरान व लांगरी को वेतन व भत्तों के रूप में किए गए ₹0.25 लाख का अधिक भुगतान

न्यास में कार्यरत सफाई कर्मचारियों, चपरासी, लांगरी व निगरान, की निजी नस्तियों व सेवापंजिकाओं की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार कुछ कर्मचारियों को दिनांक 1-05-12 व कुछ कर्मचारियों का 1-10-12 से गलत वेतन निर्धारण करने के कारण वेतन व भत्तों के रूप में ₹25449 =/का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है। नियमानुसार वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने उपरान्त सुनिश्चित प्रगतिशील आजीविका योजना का लाभ दिया जाना अपेक्षित था लेकिन सुनिश्चित प्रगतिशील आजीविका योजना का लाभ वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने से पहले प्रदान किया गया जिसके फलस्वरूप प्रत्येक कर्मचारी का मूलवेतन दस रुपये अधिक निर्धारित किया गया।

(क) उपरोक्त नियमानुसार दिनांक 1.5.12 को अपेक्षित वेतन निर्धारण का विवरण

क्रम संख्या	वार्षिक वेतन बढ़ाव की तिथि	देय वेतन (पे (पे ग्रेड +	टिप्पणी
			कार्य ग्रहण की तिथि 1-05-1998
1	1-05-12	8300+1650=9950	वार्षिक वृद्धि
2	1-05-12	8600+1900=10500	3 rd 14years ACP
3	1-05-13	8920+1900=10820	
4	1-05-14	9250+1900=11150	
5	1-05-15	9590+1900=11490	
6	1-05-16	9940+1900=11840	
7	1-05-17	10300+1900=12200	

उक्त कर्मचारियों का निम्नलिखित प्रकार से वेतन निर्धारित किया गया।

क्रम संख्या	वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	आहरित किया गया वेतन (पे पे ग्रेड +	टिप्पणी
1	1-05-12	8300+1900=10200	3 rd 14years ACP
2	1-05-12	8610+1900=10510	वार्षिक वृद्धि
3	1-05-13	8930+1900=10830	
4	1-05-14	9260+1900=11160	
5	1-05-15	9600+1900=11500	
6	1-05-16	9950+1900=11850	
7	1-05-17	10310+1900=12210	

इस प्रकार प्रत्येक कर्मचारी को अधिक किए गए वेतन व भत्तों का विवरण

अवधि	देय भुगतान (+ पे) ग्रेड पे)	दिया गया भुगतान (पे + (पे ग्रेड	अन्तर	महंगाई भत्ते की दर @%	महंगाई भत्ते की राशि	आई आर @ 5% (1-08- 16) & 9% (1-08-17)	योग	मासों की संख्या	कुल योग
1-05-12 से 30-06-12	10500	10510	10	65	6.5		16.5	2	33
1-07-12 से 31-12-12	10500	10510	10	72	7.2		17.2	6	103.2
1-01-13 से 30-04-13	10500	10510	10	80	8.00		18	4	72
1-05-13 से 30-06-13	10820	10830	10	80	8.00		18	2	36
1-07-13 से 31-12-13	10820	10830	10	90	9.00		19	6	114
1-01-14 से 30-04-14	10820	10830	10	100	10.00		20	4	80
1-05-14 से 30-06-14	11150	11160	10	100	10.00		20	2	40
1-07-14 से 31-12-14	11150	11160	10	107	10.70		20.7	6	124.2
1-01-15 से 30-04-15	11150	11160	10	113	11.30		21.3	4	85.2
1-05-15 से 30-06-15	11490	11500	10	113	11.30		21.3	2	42.6
1-07-15 से 31-12-15	11490	11500	10	119	11.90		21.9	6	131.4
1-01-16 से 30-04-16	11490	11500	10	125	12.50		22.5	4	90
1-05-16 से 30-06-16	11840	11850	10	125	12.50		22.5	2	45
1-07-16 से 31-07-16	11840	11850	10	130	13.00		23	1	23

1-08-16 से 31-12-16	11840	11850	10	130	13.00	1	23.50	5	117.5
1-01-17 से 30-04-17	11840	11850	10	134	13.40	1	23.90	4	95.6
1-05-16 से 30-06-17	12200	12210	10	134	13.40	1	23.90	2	47.8
1-07-17 से 31-07-17	12200	12210	10	137	13.70	1	24.20	1	24.2
1-08-17 से 31-12-17	12200	12210	10	137	13.70	1	24.60	5	123
योग=									1428

कर्मचारियों के नाम जिनको उक्त विवरणानुसार अधिक भुगतान किया गया:-

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वार्षिक वेतन बढ़ोतरी की तिथि	गलत वेतन निर्धारण करने के कारण किए गए अधिक एवम गलत भुगतान की गई राशि
1	श्री सुखदेव कुमार	सफाई कर्मचारी	1-05-2012	1428
2	श्री राकेश कुमार	चपरासी	1-05-2012	1428
3	श्री गुरबचन सिंह	निगरान	1-05-2012	1428
4	श्री विशन दास	लांगरी	1-05-2012	1428
5	श्रीमती ऊषा देवी	एम० पी० डब्ल्यू०	1-05-2012	1428
6	श्री बुधि सिंह	एम० पी० डब्ल्यू०	1-05-2012	1428
7	श्री कृशन लाल	एम० पी० डब्ल्यू०	1-05-2012	1428
8	श्री मेघ राज	लांगरी	1-05-2012	1428
9	श्री मोहिंदर सिंह	लांगरी	1-05-2012	1428
10	श्री राम पाल	बेलदार	1-05-2012	1428
11	श्री बलदेव सिंह	एम० पी० डब्ल्यू० (मिस्त्री)	1-05-2012	1428
12	श्री राम पाल-2	एम० पी० डब्ल्यू० -बेलदार	1-05-2012	1428
13	श्री पोला राम	एम० पी० डब्ल्यू० -बेलदार	1-05-2012	1428
14	श्री नरेश कुमार	एम० पी० डब्ल्यू० -बेलदार	1-05-2012	1428
15	श्री यशपाल	एम० पी० डब्ल्यू० -बेलदार	1-05-2012	1428
			कुल योग	21420

(ख) दिनांक 1-10-12 को किए जाने वाले वेतन निर्धारण का विवरण :-

क्रम संख्या	वार्षिक वेतन बढ़ोतरी की तिथि	देय वेतन (पे (पे ग्रेड +	टिप्पणी
			कार्य ग्रहण की तिथि 1-10-1998
1	1-10-12	8300+1650=9950	वार्षिक वृद्धि

2	1-10-12	8600+1900=10500	3 rd 14years ACP
3	1-10-13	8920+1900=10820	
4	1-10-14	9250+1900=11150	
5	1-10-15	9590+1900=11490	
6	1-10-16	9940+1900=11840	
7	1-10-17	10300+1900=12200	

दिनांक 1.10.12 को कर्मचारियों का निम्नलिखित प्रकार से वेतन निर्धारित किया गया I

क्रम	वार्षिक वेतन बढ़ौतरी	आहरित किया गया वेतन	टिप्पणी
संख्या	की तिथि	(पे (पे ग्रेड +	
1	1-10-12	8300+1900=10200	3 rd 14years ACP
2	1-10-12	8610+1900=10510	वार्षिक वृद्धि
3	1-10-13	8930+1900=10830	
4	1-10-14	9260+1900=11160	
5	1-10-15	9600+1900=11500	
6	1-10-16	9950+1900=11850	
7	1-10-17	10310+1900=12210	

इस प्रकार गलत वेतन निर्धारण करने के कारण वेतन भत्तों के रूप में किए गए प्रत्येक कर्मचारी को किए गए अधिक भुगतान का विवरण निम्नानुसार है।

अवधि	देय भुगतान (पे + ग्रेड पे	दिया गया भुगतान (पे + ग्रेड पे	अन्तर	महंगाई भत्ते की दर @%	महंगाई भत्ते की राशि	आई आर @ 5% (1-08- 16) & 9% (1-08-17)	योग	मासों की संख्या	कुल योग
1-10-12 से 31-12-12	10500	10510	10	72	7.2		17.2	3	51.6
1-01-13 से 30-06-13	10500	10510	10	80	8.00		18	6	108
1-07-13 से 30-09-13	10500	10510	10	90	9.00		19	3	57
1-10-13 से 31-12-13	10820	10830	10	90	9.00		19	3	57
1-01-14 से 30-06-14	10820	10830	10	100	10.00		20	6	120
1-07-14 से 30-09-14	10820	10830	10	107	10.70		20.7	3	62.1
1-10-14 से 31-12-14	11150	11160	10	107	10.70		20.7	3	62.1
1-01-15 से 30-06-15	11150	11160	10	113	11.30		21.3	6	127.8
1-07-15 से 30-09-15	11150	11160	10	119	11.90		21.9	3	65.7
1-10-15 से 31-12-15	11490	11500	10	119	11.90		21.9	3	65.7

1-01-16 से 30-06-16	11490	11500	10	125	12.50		22.5	6	135
1-07-16 से 31-07-16	11490	11500	10	130	13.00		23	1	23
1-08-16 से 30-09-16	11490	11500	10	130	13.00	1	23.50	2	47
1-10-16 से 31-12-16	11840	11850	10	130	13.00	1	23.50	3	70.5
1-01-17 से 30-06-17	11840	11850	10	134	13.40	1	23.90	6	143.4
1-07-17 से 31-07-17	11840	11850	10	137	13.70	1	24.20	1	24.2
1-08-17 से 30-09-17	11840	11850	10	137	13.70	1	24.60	2	49.2
1-10-17 से 31-12-17	12200	12210	10	137	13.70	1	24.60	3	73.8
योग									1343

कर्मचारियों के नाम जिनको उक्त विवरणानुसार अधिक भुगतान किया गया:-

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वार्षिक वेतन बढ़ोतरी की तिथि	गलत वेतन निर्धारण करने के कारण वेतन बिलों के रूप में किए गए अधिक एवम गलत भुगतान की गई राशि
1	श्री विभीषण चन्द	सफाई कर्मचारी	1-10-2012	1343
2	श्री सतपाल	सफाई कर्मचारी	1-10-2012	1343
3	श्रीमती कुसुम लता	एम० पी० डब्ल्यू०	1-10-2012	1343
कुल योग				4029

उपरोक्त क व ख का कुल योग (21420+4029) = ₹25449

उपरोक्त उल्लेखित कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि उपरान्त सुनिश्चित प्रगतिशील आजीविका योजना का लाभ प्रदान करने के कारण वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹25449 के अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या –20 दिनांक 9-01-2018 के अंतर्गत मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रत्युत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः उक्त कर्मचारियों को गलत वेतन निर्धारण करने के कारण वेतन व भत्तों के रूप किए गए अधिक एवम गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक एवं

गलत भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए तदनुसार कृत कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए |

28 गलत वेतन निर्धारण करने के कारण श्री परमानन्द, ड्राफ्ट्समैन को वेतन व भत्तों के रूप में ₹0.24 लाख का अधिक भुगतान :-

मन्दिर न्यास में कार्यरत श्री परमानन्द, ड्राफ्ट्समैन की निजी नस्ति व सेवापंजिका की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार उक्त कर्मचारी का दिनांक 1-01-13 से गलत वेतन निर्धारण करने के कारण दिनांक 1-01-13 से 31-12-17 तक वेतन व भत्तों के रूप में ₹23958 का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है। आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश बिलासपुर मन्दिर न्यास श्री नैनादेवी के दिनांक 29-12-16 को निर्णय के अनुसार उक्त कर्मचारी की एक बेतन वृद्धि दिनांक 1.1.17 से रोकी जानी अपेक्षित थी लेकिन मन्दिर न्यास द्वारा उक्त बेतन वृद्धि नहीं रोकी गई। वेतन व भत्तों के रूप में किए गए अधिक एवम गलत भुगतान का विवरण निम्नविवरणानुसार है।

अवधि	देय भुगतान (पे + ग्रेड पे)	दिया गया भुगतान (पे + ग्रेड पे)	अन्तर	महंगाई भत्ते की दर @%	महंगाई भत्ते की राशि	आई आर @ 5% (1-08-16) & 9% (1-08-17)	योग	मासों की संख्या	कुल योग
1-01-13 से 30-06-13	23740	23750	10.00	80.00	8.00		18.00	6.00	108.00
1-07-13 से 31-12-13	23740	23750	10.00	90.00	9.00		19.00	6.00	114.00
1-01-14 से 30-06-14	24460	24470	10.00	100.00	10.00		20.00	6.00	120.00
1-07-14 से 31-12-14	24460	24470	10.00	107.00	10.70		20.70	6.00	124.20
1-01-15 से 30-06-15	25200	25210	10.00	113.00	11.30		21.30	6.00	127.80
1-07-15 से 31-12-15	25200	25210	10.00	119.00	11.90		21.90	6.00	131.40
1-01-16 से 30-06-16	25960	25970	10.00	125.00	12.50		22.50	6.00	135.00
1-07-16 से 31-07-16	25960	25970	10.00	130.00	13.00		23.00	1.00	23.00
1-08-16 से 31-12-16	25960	25970	10.00	130.00	13.00	0.50	23.50	5.00	117.50

1-01-17 से 30-06-17	25960	26750	790.00	134.00	1058.60	39.50	1888.10	6.00	11328.60
1-07-17 से 31-07-17	25960	26750	790.00	137.00	1082.30	39.50	1911.80	1.00	1911.80
1-08-17 से 31-12-17	25960	26750	790.00	137.00	1082.30	71.10	1943.40	5.00	9717.00
								योग	23958.30

उक्त कर्मचारी को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹23958 के अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अध्याचना संख्या –30 दिनांक 24-01-2018 के अंतर्गत मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अध्याचना का कोई भी प्रत्युत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः उक्त कर्मचारी को गलत वेतन निर्धारण करने के कारण वेतन बिलों के रूप किए गए अधिक एवम गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए तदनुसार कृत कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए |

29 मन्दिर न्यास कर्मचारियों के अवकाश खातों के अनुरक्षण में पाई गई त्रुटियां:—

मन्दिर न्यास श्री नैणादेवी जी के कर्मचारियों के लिए प्रतिपदित सेवा उपनियम 1994 संशोधित 1996 के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष के दौरान 20 दिन के विशेष अवकाश का हकदार है तथा मन्दिर न्यास द्वारा संचालित संस्कृत महाविद्यालय व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में कार्यरत शिक्षक कैलेंडर वर्ष के दौरान 10 दिन के विशेष अवकाश के हकदार हैं। सेवा उपनियमों के अनुसार यह विशेष अवकाश सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले अर्जित अवकाश के समान ही है तथा वर्ष में दो बार 1 जनवरी व 1 जुलाई को गैर शिक्षक व शिक्षक कर्मचारियों के खाते में क्रमशः 10 व 5 दिनों के लिए जमा किया जाता है। मन्दिर न्यास में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की अंकेक्षण जांच के दौरान कई कर्मचारियों के विशेष अवकाश खातों में त्रुटियां पाई गई हैं जिनका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है:—

क्र०	कर्मचारी का नाम व पद	त्रुटि का विवरण
1	श्री अनिल कुमार, क्लर्क	कर्मचारी द्वारा दिनांक 25.06.13 से 02.07.13 तक 8 दिन का अवकाश व्यतीत करने के पश्चात 191 दिन के अवकाश में अवधि 01.01.13 से 30.06.13 का 10 दिन का अवकाश जमा किया गया है परन्तु अन्त शेष 201 दिन के स्थान पर 209 दिन दर्शाया गया है।

2	श्री कमल देव, बहुदेशीय कर्मचारी (एम. पी. डबल्यू)	कर्मचारी के अवकाश खाते के अन्त शेष के 21 दिन में अवधि 01.07.15 से 31.12.15 का 10 दिन का अवकाश जमा करने के पश्चात अन्त शेष 31 दिन के स्थान पर 16 दिन दर्शाया गया है।
3	श्री महेन्द्र सिंह, बहुदेशीय कर्मचारी (एम. पी. डबल्यू)	कर्मचारी के अवकाश खाते के अन्त शेष के 48 दिन में अवधि 01.01.17 से 31.12.17 (एक वर्ष) का 20 दिन का अवकाश जमा करने के पश्चात अन्त शेष 68 दिन के स्थान पर 71 दिन दर्शाया गया है।
4	श्री नरेन्द्र सिंह सेन, प्रधानाचार्य, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला	सेवा पजी के पृष्ठ 70 पर अन्त शेष की गणना करते समय 9 दिन के स्थान पर शेष बढ़ाकर 15 दिन दर्शाया गया है।
5	श्रीमति अनुराधा शर्मा, लैब सहायक, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला	शिक्षक कर्मचारी वर्ग में होने के बावजूद भी अवधि 01.01.15 से 31.12.15 (एक वर्ष) के लिए अवकाश खाते में 10 दिन के स्थान पर मन्दिर न्यास सेवा उपनियमों के प्रावधानों के विरुद्ध 20 दिन जमा किए गए हैं।
6	श्री नरोत्तम दत्त शर्मा, प्रधानाचार्य, संस्कृत महाविद्यालय	अवधि 01.01.2008 से 30.06.2008 के पश्चात अवकाश खाते में अन्त शेष की गलत गणना करके शेष 3 दिन से बढ़ाकर दर्शाया गया है।

उपरोक्त त्रुटियों के सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा आपत्ति जताए जाने पर इन सभी कर्मचारियों के अवकाश खातों में न्यास द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही कर ली गई है। इसके अतिरिक्त सुझाव दिया जाता है कि अवकाश खातों में प्रविष्टियां करने वाले कर्मचारियों को भविष्य हेतु इस प्रकार की चूक न दोहराए जाने बारे भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं।

30 मन्दिर न्यास द्वारा दान के रूप में प्राप्त लाखों रुपए की विभिन्न मदों (सामग्री) को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करके दुर्विनियोजन करने बारे:-

जाँच के दौरान पाया गया कि अवधि 1.1.2014 से 31.12.2016 तक मन्दिर न्यास द्वारा रसीदों के अन्तर्गत दान स्वरूप प्राप्त विभिन्न मदों (सामग्री) में से निम्न विवरणानुसार कुछ मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करके उनका दुरुपयोग किया गया प्रतीत होता है

क्रम संख्या	प्राप्ति की तिथि/माह	रसीद संख्या	सामान का विवरण	मात्रा
1	9-01-14	197	स्टील नल	1 नग
2	15-09-14	3402	टब	1 नग
3	11-05-14	3320	ताले	12 न.
			फिनाईल 1 पेटी	25 बोतल

4	18-06-14	3360	(25x450 ml) घंटी छोटी पीतल भारत मिक्स बल्ब 14 वाट(फिलिप्स)	2 न. 1 न.
5	22-06-14	3365	छाता फोल्डिंग	1 न.
6	7-07-14	3380	चाय	2 किलो ग्राम
7	16-08-14	1087	पंखा देसी	1 न.
8	30-08-14	1098	स्टील चम्मच स्टील प्लेट	10 नग 1 नग
9	7-10-14	98793	पीतल घंटी	1 न.
10	7-10-14	98794	कम्बल फुल साइज़ बेबी कम्बल	1 न. 1 न.
11	8-10-14	98795	खेसी	1 न.
12	8-10-14	98796	पीतल जोत छोटी जोत पीतल घंटी	1 न. 1 न. 1 न.
13	25-10-14	98797	पीतल घंटी	1 न.
14	26-10-14	98799	पीतल घंटी	1 न.
15	16-08-15	125	ट्रोल्ली बैग	1 न.
16	18-08-15	222	कम्बल	1 न.
17	23-08-15	413	रस	55 किलो
18	30-08-15	261	काले चने	30 किलो
19	29-09-15	295	घंटी	2 न.
20	2-10-15	196	फैन एयर मैजिक	1 न.
21	2-10-15	197	पंखा (एंकर)	1 न.
22	9-10-15	199	वाटर कूलर	1 न.
23	13-10-15	200	दीवार घड़ी	2 न.
24	22-10-15	787	प्लास्टिक बोर्ड	1 न.
25	7-02-16	1335	भेंट पात्र गल्ला	1 न.
26	24-02-16	2178	देसी पंखा	1 न.
27	28-02-16	1359	छतरी	1 न.
28	1-03-16	2196	थाली प्लेट गडवी	1 न. 2 नग 1 न.

			डोंगा	1 न.
29	25-03-16	1397	दीवार घड़ी	1 न.
30	3-04-16	3305	चावल	50 किलो
31	12-04-16	3570	पंखा	1 नग
32	12-04-16	3575	चावल	25 किलो
33	24-04-16	3663	आटा	100किलो
			देशी घी	1 टीन
34	1-05-16	3352	छतरी	1 नग
35	4-06-16	3390	चावल	90 किलो
			बेसन	35 किलो
			रिफाइंड	1टीन
36	4-06-16	3391	स्टील बाल्टी	1 नग
			गडवी	1 नग
37	8-06-16	3394	डोर मैट	900 मीटर
			डोर मैट	200 मीटर
38	26-06-16	5319	दीवार घड़ी	1 नग
			पीतल घंटी	1 नग
39	17-07-16	5331	कम्बल सिंगल	4 नग
			ट्यूव रोड	1 नग
40	8-08-18	5386	खेसी	1 नग
			कम्बल	1 नग
41	20-12-16	195	कम्बल	1 नग
42	24-12-16	196	कम्बल	2 नग
43	26-12-16	198	कम्बल	1 नग
44	29-12-16	200	दरी	2 नग

अतः उपरोक्त उल्लेखित रसीदों के अन्तर्गत दान स्वरूप प्राप्त विभिन्न मदों (सामग्री) को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्ट्रों में दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त दुरुपयोग किए गए सामान का उत्तरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त उक्त राशि की वसूली प्रचलित बाजारी मूल्य से सम्बन्धित कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए तदनुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) मंडी राशन स्टॉक रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 10-08-2015 को समराला मंडी से स्टील गिलास 132 न० प्राप्त किए गए दर्शाए गए हैं, लेकिन उक्त प्राप्त

दर्शाए गए स्टील गिलास 132 को सम्बन्धित बर्तन रजिस्टर में दर्ज न करके उसका दुरुपयोग किया गया है। अतः उक्त स्टील गिलास 132 को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त दुरुपयोग किए गए सामान का उत्तरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त उक्त राशि की वसूली प्रचलित बाजारी मूल्य से सम्बन्धित कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) लंगर स्टॉक रजिस्टर पेज संख्या 264, दिनांक 15-08-15 को रसीद संख्या 230 व 403 में क्रमशः 15 किलो व 325 किलो कुल 340 किलो चावल की प्रविष्टी दर्ज दर्शाई गई थी, परन्तु उक्त सामग्री को योग में नहीं दर्शया गया। फलस्वरूप उक्त सामग्री की दुरुपयोग किया गया था। अतः उक्त सामग्री को योग में न दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त दुरुपयोग किए गए 340 किलो चावल का उत्तरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त उक्त राशि की वसूली प्रचलित बाजारी मूल्य से सम्बन्धित उत्तरदायी कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

31 मन्दिर न्यास द्वारा ₹ 0.60 लाख के सामान को क्रय करने से पूर्व आवश्यक एवं निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण न करना व क्रय सामान की स्टॉक प्रविष्टियां व खपत/ जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख मौजूद न होना :-

जाँच के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार मन्दिर न्यास द्वारा सामान क्रय करने के लिए ₹60411 का व्यय किया गया।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या	दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	554	6-07-15	अमृत फ्लैक्स बोर्ड, नंगल चड़ीगढ़ रोड, नंगल डैम	विनायल शीट विद बोर्ड	1	650	650
2	588	17-07-15	राधे राजीव शॉप नंबर- 1104/1 बंगाली मोहल्ला अम्बाला कैट	नॉन रिटर्न बल्ब	60	235	14100
				रेगुलेटर	38	198	7524
				फ्लेक्सिबल सिलिंडर	41	234	9594
						योग	31218
						सी०एस० टी०	4097

						किराया भाडा	1500
						योग	36815
						भुगतान	35000
3		26-06-16	नन्द लाल एंड सन्ज, रेलवे रोड खन्ना	कैनवस क्लॉथ (30x18)	1	5000	5000
				प्लास्टिक क्लॉथ (27x18)	1	1200	1200
						योग	6200
4	597	23-07-15	मे० जय दुर्गा ट्रेडर्स, आनंदपुर साहिब	पेंट बस ग्रीन	40लीटर	218.5	8740
				लाल पेंट	25लीटर	251.64	6291
				थिन्नर	25लीटर	110	2750
				ब्रश 4"	4	150	600
				ब्रश 2"	4	45	180
						योग	18561
क्रम संख्या (1) से (4) तक का कुल योग (650+35000+6200+18561)							60411

उपरोक्त उल्लेखित व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ हैं, जिनका निराकरण किया जाए।

i) उपरोक्त क्रम संख्या 2 से 4 पर उल्लेखित सामान को क्रय करने से पूर्व आवश्यक एवं निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई हैं अर्थात् निविदाएँ आमंत्रित नहीं की गई हैं। निविदाओं के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि उक्त सामान का क्रय न्यूनतम दरों पर किया गया। अतः उक्त सामान को क्रय करने से पूर्व आवश्यक एवं निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में सामान को क्रय करने से पूर्व आवश्यक एवं निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण न करने उपरांत ही क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

ii) उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 3 पर उल्लेखित क्रय किए गए सामान की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

32 बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी. डी. पी. ओ.) बिलासपुर कार्यालय को ₹1,17,400 का अनियमित हस्तांतरण:-

मन्दिर न्यास के लेखाओं अवधि 1.1.2014 से 31.12.2016 तक के अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण जांच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई व वित्त पोषित "मुस्कान योजना" के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार ₹1,17,400 बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी. डी. पी. ओ.) बिलासपुर को हस्तांतरित किए गए हैं:-

क्र	दिनांक	वाउचर सं.	चैक सं.	विवरण	राशि
1	01.08.2016	584	866585	जून 2016 में सदर तहसील में जन्मी बालिकाओं के बचत खाते खोलने हेतु	17400.00
2	29.08.2016	656	689164	मुस्कान अभियान	100000.00
कुल योग					117400.00

चूंकि इस योजना का मन्दिर न्यास से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः इसके लिए हस्तांतरित की गई उपरोक्त राशि न्यास के खातों पर उचित प्रभार नहीं है अतः इस व्यय का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाए तथा इस राशि की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में इस प्रकार का व्यय न किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

33 छः क्विंटल गिलट की नीलामी में पाई गई अनियमितताएं:-

मन्दिर न्यास के लेखाओं अवधि 1.1.2014 से 31.12.2016 तक के अंकेक्षण के दौरान मन्दिर अधिकारी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक: अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी. /2017/-157 दिनांक: 18/09/2017 के प्रत्युत्तर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख में पाया गया कि न्यास द्वारा दिनांक 04.10.2015 को खुली नीलामी द्वारा 5 क्विंटल 99 किलोग्राम 144 ग्राम 710 मिलीग्राम वजन की गिलट धातु को ₹1,40,800 में अर्थात ₹235 प्रति किलोग्राम की दर से श्री राजेश कुमार खन्ना, पटियाला, पंजाब को बेचा था। इस नीलामी के सन्दर्भ में अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख में से निम्नलिखित तथ्य कालक्रमानुसार सामने आए हैं:-

- क** इस गिलट की खुली नीलामी द्वारा बिक्री का फैसला मन्दिर न्यास की दिनांक 27.02.2015 को हुई बैठक के प्रस्ताव की मद संख्या 2 के अन्तर्गत लिया गया था।
- ख** इस उद्देश्य हेतु एक 15 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी तथा इस कमेटी द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 20.05.2015 को चढ़ावा रूप में प्राप्त होने वाली कीमती धातुओं के भण्डारण हेतु बनाई जाने वाली सीलशुदा 1233 गठड़ियों को खोलकर उपलब्ध कुल धातु का स्टॉक

- रजिस्टर में दर्ज वजन 6 क्विंटल 7 किलोग्राम 273 ग्राम 710 मिलीग्राम के साथ मिलान करते हुए प्रत्यक्ष सत्यापन किया। इस वजन में 15 ईंटों के रूप में रखी गई वह गिलट धातु भी शामिल है जिसे वर्ष 1999 में पिघलवाया गया था।
- ग** इस गिलट की खुली नीलामी हेतु दिनांक 23.06.2015 को निर्धारित किया गया था तथा नीलामी के दौरान बोलीदाताओं द्वारा सबसे ऊँची बोली ₹30 की लगाई गई थी।
- घ** इस नीलामी से सम्बन्धित नस्ति की नोटिंग में क्रमांक 14 पर दर्ज टिप्पणी से यह स्पष्ट हुआ कि उस दिन उपरोक्त क्रमांक 2 पर वर्णित कमेटी द्वारा यह तर्क देते हुए कि “जिस गिलट धातु की बिक्री की जा रही है उसमें कुछ सोना तथा चांदी भी शामिल है अतः पहले उसकी छंटाई की जानी अपेक्षित है” उस दिन की नीलामी को अगली तिथि निर्धारित किए जाने तक के लिए निलम्बित कर दिया था।
- ङ** उस नीलामी वाले दिन 23.06.2015 को गिलट धातु में सोना चांदी पाए जाने का दावा करने वाली यह वही कमेटी थी जिसने दिनांक 20.05.2015 को 1233 गठड़ियों में से एक-एक गठड़ी को खोलकर उनका वजन करने के बाद स्टॉक रजिस्ट्रों में दर्ज मात्रा के साथ मिलान करते हुए प्रत्यक्ष सत्यापन किया था।
- च** नीलामी को स्थगित करने के पश्चात कमेटी द्वारा श्री राजकुमार, स्वर्णकार/सर्गाफ निवासी सरहिन्द, पंजाब को गिलट में से सोना चांदी आदि कीमती धातुओं की छंटाई के लिए नियुक्त किया गया। प्रस्तुत अभिलेख तथा नोटिंग शीट में लिखी गई टिप्पणियों से स्पष्ट हुआ कि श्री राजकुमार की स्वर्णकार होने के अतिरिक्त छंटाई कार्य के लिए नियुक्ति हेतु मुख्य योग्यता उनके द्वारा श्री नैणादेवी जी मन्दिर के बाहर वर्ष 1992 से यात्रियों को पानी पिलाया जाना है तथा वह इस छंटाई कार्य को बिना किसी प्रकार के पारिश्रमिक के करने को तैयार थे।
- छ** कमेटी की उपस्थिति में धातु छंटाई कार्य दिनांक 05.07.2015, 12.07.2015 तथा 19.07.2015 को किया गया तथा 1.129 किलोग्राम सोना व 7.0 किलोग्राम चांदी प्राप्त हुई।
- ज** शेष बची धातु के सन्दर्भ में श्री राजकुमार ने दिनांक 19.07.2015 को हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र जारी किया कि इसमें कम कीमती धातुएं लोहा, गिलट, पीतल तथा तांबा ही शेष बचे हैं
- झ** तत्पश्चात दिनांक 04.10.2015 को खुली नीलामी द्वारा 5 क्विंटल 99 किलोग्राम 144 ग्राम 710 मिलीग्राम गिलट को ₹235 प्रति किलोग्राम की दर से चार बोलीदाताओं में से सबसे ऊँची बोली देने वाले श्री राजेश कुमार खन्ना निवासी पटियाला, पंजाब को ₹1,40,800 में बेच दिया गया था।

प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से यह नीलामी प्रक्रिया कुछ त्रुटियों तथा अस्पष्टता के कारण संदेहास्पद प्रतीत होती है। अंकक्षण के दौरान निम्नलिखित कुछ बिन्दु स्पष्ट नहीं हो पाए हैं:-

- 1 सामान्यतः इस प्रकार की नीलामियों के लिए सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सर्वप्रथम इस धातु का मूल्य निर्धारित करने हेतु किसी प्रधिकृत वैल्यूअर (Certified Valuer) की सेवाएं ली जानी अपेक्षित थीं तथा इसके अतिरिक्त सीलबन्द निविदाओं द्वारा भी इस कार्य को किया जा सकता था जो कि नहीं किया गया।
- 2 प्रतिपादित नियमों के अनुसार नीलामी आरम्भ किए जाने से पूर्व इस गिलट की बोली के लिए न्यूनतम सुरक्षित मूल्य प्रति किलोग्राम भी निर्धारित किया जाना अपेक्षित था जो कि नहीं किया गया है।
- 3 किसी प्रधिकृत वैल्यूअर (Certified Valuer) की सेवाएं लेने के स्थान पर धातु की छंटाई हेतु श्री राजकुमार को नियुक्त किया गया जिनकी स्वर्णकार होने के अतिरिक्त मुख्य योग्यता उनके द्वारा श्री नैणादेवी जी मन्दिर के बाहर वर्ष 1992 से यात्रियों को पानी पिलाया जाना बताई गई है।
- 4 जिस कमेटी द्वारा 1233 छोटी गठड़ियों में बन्द गिलट धातु को खोलकर बारीकी से उसके वजन का मिलान तथा प्रत्यक्ष सत्यापन दिनांक 20.05.2015 को किया था उसे उस दिन तो इस धातु में किसी प्रकार के सोना चांदी के होने का आभास नहीं हुआ परन्तु उसी कमेटी को दिनांक 23.06.2015 को इसमें सोना चांदी नजर आ गया।
- 5 दिनांक 23.06.2015 की अधिकतम बोली ₹30 प्रतिकिलोग्राम तक ही लगाई गई थी जबकि उस दिन गिलट में सोना चांदी भी शामिल थे जिनकी मात्रा बाद में सोना 1.129 किलोग्राम तथा चांदी 7.0 किलोग्राम पाई गई थी और जिनका उस समय का बाजारी मूल्य लगभग 30 से 35 लाख रुपये के बीच था। परन्तु जब यह कीमती धातुएं कुल स्टॉक में से निकाल ली गईं तो दिनांक 04.10.2015 की नीलामी में अधिकतम बोली ₹235 प्रतिकिलोग्राम पर गई है।
- 6 जब वर्ष 1999 में गिलट को मन्दिर न्यास द्वारा पिघलवा कर ईंटों के रूप में ढलवाकर रखा गया था तो इस बार भी नीलामी से पहले बाकी की गिलट को पहले पिघलवाया क्यों नहीं गया था जिससे उसकी शुद्धता का प्रमाणपत्र लेकर कुल धातु को बाजारी मूल्य पर बेचा जाता।

इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु मन्दिर अधिकारी को अंकक्षण अध्याचना संख्या: अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/-17 दिनांक: 01-02-2018 द्वारा कहा गया था जिसका प्रत्युत्तर अंकक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ। प्रतिपादित नियमों की अवहेलना व उपरोक्त अस्पष्ट बिन्दुओं के कारण नीलामी की यह प्रक्रिया संदेहास्पद प्रतीत होती है। अतः

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है तथा इस बारे में तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए और किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

34 निर्माण कार्यों का आबंटन नियमाविरुद्ध असामान्य रूप से ऊँची/नीची दरों पर कार्य आबन्धित करना:—

मन्दिर न्यास के अवधि 1.4.2014 से 31.12.2016 तक के तीन वर्षों के लेखों के अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण में निम्नलिखित निर्माण कार्य की जाँच की गई:—

i	C/o Renovation of main temple complex, SH: Renovation of Shivji Temple, Pujari Room and Mata ki Rasoi (Kitchen)	
ii	Award letter: BLS-TTND-1/12(1) 2014-3585-3594 dated 29-09-2015	
iii	Contractor:	Shri Krishna Nand
iv	Estimated Cost:	Rs. 37,50,000/-
v	Sanctioned Amount:	Rs. 38,27,000/-
vi	Awarded amount:	Rs. 31,03,876/-
vii	Actual Cost:	Rs. 37,96,089/-
viii	Time Allowed:	One year
ix	MB No.	17509
x	Date of completion:	20-06-2017

उपरोक्त निर्माण कार्य की निविदाएँ स्वीकार करते समय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मैनुयल भाग-2 (CPWD Manual Vol. 2) के प्रावधानों के विरुद्ध असामान्य रूप से ऊँची/नीची (Absurd High or Low Rates) दरों पर कार्य आबन्धित किए गए हैं। इस मैनुयल के अध्याय 20 में पैरा 20.10.1 के अनुसार:—

“The rates at which the works are let out should be reasonable considering the market conditions and other factors pertaining to particular works. Only variations upto 5% in rates received as a result of call of tenders and the rates prevalent in the market could be overlooked. In case of greater emergency, variations upto 10% might be allowed but in no case rates higher than the market rates beyond this percentage should be accepted.”

इसी प्रकार पैरा 20.16.1 के अनुसार:—

“The accepting authority, while accepting tender, should impose a restriction that quantities of items in item rate tender of which the contractor has quoted high or low rates (i.e., where the variation between tendered rates and estimated rates are more than 25% above or below the schedule rates duly enhanced to the extent of cost index) are not allowed to be varied by more than

5%. All the Divisional Officers are required to ensure that whenever a work is accepted imposing this restriction on the quantities of items carrying high or low rates, they should invariably bring to the notice of the AE concerned specific items which carry such rates.”

उपरोक्त कार्य की अंकेक्षण जांच के दौरान निविदाओं, दर तुलनात्मक विवरणी तथा बाजारी मूल्य (Justification of Rates) के अवलोकन पर निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैं:-

क इस कार्य की निविदाएं 117 मदों/उप-मदों के निष्पादन के लिए मांगी गईं तथा इसका आबंटन ₹31,03,876 के लिए किया गया था।

ख कार्य पूर्ण होने के समय तक इस कार्य में ₹37,96,089 का भुगतान करते हुए कुल 62 मदों/उप-मदों का निष्पादन किया गया था जिसमें से उपरोक्त प्राक्कलन में अनुमानित 117 मदों/उप-मदों में से मात्र 52 मदें/उप-मदें ही अन्त तक निष्पादित की गईं हैं शेष 10 का निष्पादन अतिरिक्त कार्य/मदों के रूप में किया गया है जो कि बिल के साथ संलग्न विचलन विवरणी से स्पष्ट है।

ग मूल प्राक्कलन की निष्पादित मदों अतिरिक्त मदों तथा उनके विरुद्ध किए गए भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र	मदों का विवरण	मदों/ उप-मदों की कुल संख्या	स्वीकृत दरों के आधार पर कुल अनुमानित लागत (₹)	निष्पादन उपरान्त कुल भुगतान की गई वास्तविक लागत (₹)
1	आबंटन के समय प्राक्कलन के अनुसार मात्रा के लिए विजेता संविदाकार की दरों के अनुसार	117	31,03,876.00	37,96,089.00
2	प्राक्कलन/आबंटन पत्र की मदों/उप-मदों में से अन्तिम बिल तक निष्पादित कुल मदें/उप-मदें	52	24,27,958.00	35,52,892.00
3	निष्पादित अतिरिक्त मदें/उप-मदें	10	0.00	243197.00

घ मूल प्राक्कलन की उपरोक्त 117 मदों/उप-मदों में से विजेता संविदाकार द्वारा 22 मदों/उप-मदों के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मैनुयल भाग-2 (CPWD Manual Vol. 2) के प्रावधानों के विरुद्ध असामान्य रूप से निम्न दरें (Absurd Higher Low Rates) भरकर (जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट –ट पर दिया गया है) ₹37.50 लाख की अनुमानित लागत के कार्य को ₹31 लाख में आबंटित करवा लिया गया था।

ड इन 22 मदों/उप-मदों जिनके दरें अत्यधिक निम्न भरी गई थीं में से मात्र 5 ही मदों का निष्पादन वह भी नाममात्र मात्रा के लिए किया गया था। शेष 17 मदों का किसी भी प्रकार का निष्पादन नहीं किया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर निम्नलिखित विसंगतियां/अंकेंक्षण आपत्तियां दर्ज की गई हैं:—

- 1 संविदाकार द्वारा अत्यधिक निम्न दरें भरे जाने के बावजूद भी उसे कार्य आबंटित करते समय उपरोक्त वर्णित नियम 20.16.1 के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए आबंटन पत्र में इन मदों का न तो कोई विवरण दिया गया है और न ही इनके निष्पादन के सन्दर्भ में कोई प्रतिबन्ध/शर्त लगाई गई है। जिस कारण से **परिशिष्ट— ट** में वर्णित 22 मदों/उपमदों में से मात्र 5 मदों/उपमदों का ही निष्पादन वह भी नाममात्र के लिया किया गया है। शेष 17 मदों/उपमदों को निष्पादित ही नहीं किया गया है। इस नियम की अवहेलना किस कारण से की गई है के बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने वाला कोई अभिलेख बिल के साथ उपलब्ध नहीं है। अतः इस बारे में सम्पूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष अनुमति से नियमित करवाया जाए।
- 2 प्राक्कलन की मदों तथा वास्तविक मदों के निष्पादन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उपरोक्त 22 मदों/उपमदों को प्राक्कलन का भाग मात्र संविदाकार को लाभ देने के उद्देश्य से ही बनाया गया था क्योंकि इन मदों में से अधिकतर की दरें उसके द्वारा बाजारी मूल्य की अपेक्षा 50 प्रतिशत से भी कम दी गई हैं (विस्तृत विवरण **परिशिष्ट— ट** में उपलब्ध है)। उदाहरण के लिए मद संख्या 6 (एच) जिसमें 6 मीटर स्पैन में मेहराबों (Archè) का निर्माण किया जाना था के लिए संविदाकार द्वारा आश्चर्यजनक रूप से ₹4218/— के बाजारी मूल्य के विरुद्ध ₹1200 की दर दी गई थी जो कि 71.55 प्रतिशत कम थी और बाद में इन मेहराबों के स्थान पर गुम्बद का निर्माण करवाया गया है। यह तथ्य सर्वविदित तथा सामान्य जानकारी का है कि अधिकतर हिन्दू मन्दिरों में मेहराबों का नहीं बल्कि गुम्बदों का निर्माण किया जाता है उसके बावजूद भी प्राक्कलन में गुम्बद के स्थान पर मेहराब को मद के रूप में रखा जाना तथा उसके मूल्य को भी बाजारी मूल्य के मुकाबले 71.55 प्रतिशत कम दर पर स्वीकार करना संदेहास्पद ही प्रतीत होता है। अतः इस बारे में सम्पूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष अनुमति से नियमित करवाया जाए।
- 3 मद संख्या 11 व 13 जिनमें ऐल्यूमीनियम के दरवाजे व खिड़कियां फ्रेम सहित लगाई जानी प्रस्तावित थीं का प्रतिस्थापन करके निष्पादन के समय टीक लकड़ी के खिड़की दरवाजे लगाए गए हैं। परन्तु इस मद को प्रतिस्थापित मद के स्थान पर अतिरिक्त मद के रूप में

दर्शाया गया है तथा उसी के अनुसार उसके नियमतीकरण हेतु कार्यवाही की गई है। यह सर्वथा नियमों के विरुद्ध है। बारे में सम्पूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष अनुमति से नियमित करवाया जाए।

- 4 ₹31,03,876 के आबन्धित कार्य के विरुद्ध अन्तिम बिल तक ₹37,96,089 के कार्य का निष्पादन करवाया गया है तथा अतिरिक्त ₹6,92,213 के कार्य को अतिरिक्त कार्य के रूप में न्यास अभियन्ता से अनुमोदित करवाया गया है जबकि नियमानुसार इस कार्य को मूल कार्य की तकनीकी स्वीकृति देने वाले अभियन्ता/अधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित किया जाना अपेक्षित था। अतः इस सन्दर्भ में सम्पूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष अनुमति से नियमित करवाया जाए।

इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु मन्दिर अधिकारी को अंकेक्षण अध्याचना संख्या: अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/-18 दिनांक: 01-02-2018 द्वारा कहा गया था जिसका प्रत्युत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ। उपरोक्त अनियमितताओं को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाने के अतिरिक्त सम्बन्धित कर्मचारियों को भविष्य में इस प्रकार की चूक न दोहराए जाने बारे उचित दिशा निर्देश जारी करके तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

- 35 विभिन्न निर्माण कार्यों में मापन पुस्तिका में गलत गणना दर्ज होने के कारण ठेकेदारों को ₹2025 का अधिक भुगतान:-

मन्दिर न्यास के अवधि 1.1.2014 से 31.12.2016 तक के तीन वर्षों के लेखों के अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों के बिलों की जाँच में पाया गया कि कुछ बिलों में मापन पुस्तिकाओं में गलत व अधिक गणना के दर्ज होने से ठेकेदारों को अधिक भुगतान कर दिया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

1	कार्य का नाम:-	श्री शक्ति संस्कृत महाविद्यालय में अतिरिक्त कमरों का निर्माण	अधिक भुगतान की गई राशि
	संविदाकार:-	श्री राम लाल	
	अन्तिम बिल तक किये गये कार्य की राशि	₹7,08,530	
	मापन पुस्तिका व पृष्ठ:-	MB 73 Page 85-93	
	अधिक किए गए भुगतान का विवरण:-	मद संख्या 4 में ईंटों से दीवार चिनाई की गणना में वास्तविक मात्रा 11.49 घनमीटर के स्थान पर 11.69 घनमीटर दर्ज की गई जिससे ₹5900 प्रति घनमीटर की दर से 0.2 घनमीटर के लिए अधिक भुगतान किया गया है।	1180.00

2	कार्य का नाम:—	घवाण्डल चौक स्थित स्वागत कक्ष का निर्माण	
	संविदाकार:—	श्री राम कृष्ण	
	अन्तिम बिल तक किये गये कार्य की राशि	₹5,19,231	
	मापन पुस्तिका व पृष्ठ:—	MB 8008 Page 74 - 77	
	अधिक किये गए भुगतान का विवरण:—	1 मद संख्या 6 में सरिफ की गणना में वास्तविक मात्रा 136.5 किलोग्राम के स्थान पर 141 किलोग्राम दर्ज की गई जिससे ₹61 प्रति किलोग्राम की दर से 4.5 किलोग्राम के लिए अधिक भुगतान किया गया है। 2 मद संख्या 7 में लकड़ी के कार्य की गणना में वास्तविक मात्रा 0.67 घनमीटर के स्थान पर 0.68 घनमीटर दर्ज की गई जिससे ₹57000 प्रति घनमीटर की दर से 0.01 घनमीटर के लिए अधिक भुगतान किया गया है।	275.00 570.00
	कुल अधिक किया गया भुगतान:—		2025.00

अतः इस अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से प्राथमिकता के आधार पर करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

36 माप पुस्तिका (Measurement Book) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे:-

बिल संख्या 578 दिनांक 16-07-15 को श्री कुलदीप सिंह, संविदाकार को निर्माण कार्य “C/O Toilet near HPPWD Rest House and site transferred to SND Kolan Walla Toba Pedestial park RD 3/580 for TTNM के द्वितीय चलित बिल के रूप में ₹347524/= का भुगतान किया गया था। जिसकी प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 7504 पेज संख्या 52 से 57 पर दर्ज की गई दर्शाई है। लेकिन उक्त माप पुस्तिका अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। अतः वांछित माप पुस्तिका आगामी अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

37 एस० एम० बी० (Standard Measurement Book) का रख रखाव न करना:-

मन्दिर न्यास के विभिन्न भवनों की मुरम्मत व रखरखाव से सम्बन्धित कार्य समय –समय पर किया जाता है जिसे करने के लिए बार-बार ड्राईंग व अनुमान तैयार करने का कार्य तथा मापन करने का कार्य करना पड़ता है। मन्दिर न्यास में यदि भवनों से सम्बन्धित एस०एम०बी० (Standard measurement Book) का निर्माण किया जाता है, तो बार-बार मुरम्मत व रखरखाव से सम्बन्धित कार्य करने के लिए ड्राईंग व अनुमान तैयार

करने व मापन करने के लिए समय व्यर्थ नहीं गंवाना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष मन्दिर एवं उप मण्डलाधिकारी बिलासपुर द्वारा पत्र संख्या बी एल एस-टी टी एन डी-48/15(5)2013-3175 से 3183 दिनांक 21-06-2013 द्वारा मन्दिर अधिकारी श्री नयना देवी मन्दिर न्यास को निर्देश दिए गये थे, कि मन्दिर न्यास भवनों से सम्बन्धित एस०एम०बी० (Standard measurement Book) तैयार की जाए। जिसे मन्दिर न्यास के दोनों कनिष्ठ अभियंताओं के पास उपयोग हेतु रखा जाए तथा जिसे ट्रस्ट अभियन्ता (सहायक अभियन्ता हि० प्र० लो० नि० वि०) से 100 प्रतिशत टैस्ट चैक करवाया जाए, ताकि मन्दिर न्यास की भवनों की मुरम्मत से सम्बन्धित कार्य करवाने के लिए बार-बार ड्राईंग व अनुमान तैयार करने तथा मापन करने पर समय व्यर्थ न हो सके।

38 दूध की खरीद में गुणवत्ता हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार खराब गुणवत्ता के लिए पूरी कटौती न करके ₹0.35 लाख का अधिक किया गया भुगतान:—

मन्दिर न्यास के अवधि 1.1.2014 से 31.12.2016 तक के तीन वर्षों के लेखों के अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण जांच में न्यास द्वारा संचालित दुकान में बर्फी/मिठाई बनाने हेतु प्रतिदिन दो आपूर्तिकर्ताओं श्री बन्त सिंह, गांव मण्डयाली तथा श्री परस राम गांव खाल द्वारा दूध की आपूर्ती की जाती है। इससे सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर की जांच में निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैं:—

- क** दूध की आपूर्ती हेतु मूल्य/दर निर्धारित करते समय मन्दिर अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या: टीटीएनडी—दुकान—4768 से 4771 दिनांक 30.09.2012 (₹32 प्रति लीटर) तथा टीटीएनडी—दुकान—4018 से 4020 दिनांक 29.09.2016 (₹36 प्रति लीटर) की शर्त संख्या 1 के अनुसार दूध की गुणवत्ता निर्धारित करते हुए तय किया गया है कि आपूर्ती किए गए प्रतिलीटर दूध में से 200 ग्राम खोया प्राप्त होना आवश्यक है।
- ख** दुकान द्वारा प्राप्त दूध में से कुछ दूध चाय बनाने हेतु रखकर शेष दूध से खोया तैयार किया जाता है।
- ग** स्टॉक रजिस्टर की जांच में पाया गया कि गुणवत्ता हेतु निर्धारित उपरोक्त मानक के आधार पर दूध की मात्रा में कटौती केवल उसी मात्रा पर लगाई गयी है जिससे खोया तैयार किया गया था जबकि तय शर्त के मुताबिक यह 200 ग्राम प्रतिलीटर का मानक कुल आपूर्ती पर लगाया जाना चाहिए था।
- घ** आपूर्ती किए गए दूध की गुणवत्ता हमेशा खराब/संदेहास्पद रही है जिस कारण मन्दिर अधिकारी द्वारा बार—बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी जब कोई सुधार नहीं हुआ तो एक बार तो कार्यालय पत्र संख्या: टीटीएनडी:दुकान(दूध)/4284—4285 दिनांक 10.10.2016 द्वारा

दोनों आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति बन्द किए जाने के आदेश भी जारी कर दिए गए थे जिन्हें बाद में दोनों आपूर्तिकर्ताओं द्वारा लिखित आश्वासन दिए जाने के दृष्टिगत पुनः जारी कर दिया गया था।

- ड अंकेशन जांच में यह भी पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा दूध की खराब गुणवत्ता के लिए जो कटौती आपूर्ति की गई मात्रा से की भी जाती है वह उपरोक्त वर्णित मानक के आधार पर साधारण गणित का प्रयोग न करके मात्र अनुमान से ही की जाती है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर यह पाया है कि अंकेशनावधि 01/2014 से 12/2016 तक के तीन वर्षों के दौरान परिशिष्ट – “ठ-1” व परिशिष्ट – “ठ-2” पर की गई गणना के अनुसार श्री बन्त सिंह को ₹26404 तथा श्री परस राम को ₹8227 कुल ₹34631 का अधिक भुगतान हुआ पाया गया है। अतः इस अधिक भुगतान व निर्धारित 200 ग्राम प्रतिलीटर के मानक को सही तरीके से प्रयुक्त न किए जाने बारे उचित व तथ्यपरक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अधिक भुगतान की गई ₹34631 की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेशन को अवगत करवाया जाए।

- 39 मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी द्वारा संचालित दुकान से सम्बन्धित अनियमितताएं:-
(क) मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी द्वारा संचालित दुकान से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार स्टॉक रजिस्टर में अधिक मात्रा खपत दर्शाई गई थी, जबकि दैनिक आय रजिस्टर में कम मात्रा दर्शाकर कम ₹7660 मन्दिर कोष में जमा करवाकर उक्त राशि का दुरुपयोग किया गया था।

क्रम संख्या	दिनांक / माह	स्टॉक रजिस्टर पेज संख्या	मद का नाम	प्रति नग मूल्य	स्टॉक रजिस्टर में घटाई गई मात्रा	दैनिक आय रजिस्टर में दर्ज मात्रा	स्टॉक रजिस्टर में अधिक खपत दर्शाई गई मात्रा	दुरुपयोग की गई राशि
1	8/2016	75	मेवा	7	3500नग	3341 नग	159 नग	159x7= 1113
2	8/2016	121	चुन्नी	201	140 नग	129 नग	11 नग	11x201=2211
3	8/2016	56	परमल	8	3100 नग	2698 नग	402 नग	402x8=3216
4	8/2016	100	सुहागी	8	1920 नग	1780 नग	140 नग	140x8=1120
							योग=	7660

अतः उपरोक्त कम जमा करवाई गई राशि का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त दुरुपयोग की गई ₹7660 का उत्तरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त उक्त राशि की सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए तदनुसार कृत कार्यवाही से आगामी अंकेशन को अवगत करवाया जाए।

(ख) मन्दिर न्यास द्वारा संचालित दुकान के वर्ष 2014 के माह 6/2014 की दिनांक 6-06-2014 को विभिन्न मिठाईयों को तैयार करने हेतु सामग्री चीनी 100 किलो ग्राम स्टॉक रजिस्टर पेज संख्या 18 में खपत घटाई दर्शाई गई, जबकि दुकान के दैनिक आय सामग्री प्राप्त रजिस्टर पेज संख्या -31 दिनांक 6-06-2014 को स्टोर स्टॉक रजिस्टर में 50 किलो ग्राम चीनी प्राप्त दर्शाई गई। अतः 50 (100-50) किलो ग्राम चीनी कम दर्ज करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त कम दर्ज की गई चीनी के दुरुपयोग का उत्तरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त उक्त राशि की वसूली प्रचलित बाजारीय मूल्य से सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ग) मन्दिर न्यास द्वारा संचालित दुकान के वर्ष 2014 के माह 6/2014 में विभिन्न मिठाईयों को तैयार करने हेतु सामग्री बेसन 770 किलो ग्राम स्टॉक रजिस्टर पेज संख्या 38 में खपत घटाई दर्शाई गई, जबकि दुकान के दैनिक आय सामग्री प्राप्त रजिस्टर पेज संख्या - 30 माह 6/2014 में स्टोर स्टॉक रजिस्टर में 665 किलो ग्राम बेसन प्राप्त दर्शाई गई। अतः 105 (770-665) किलो ग्राम बेसन कम दर्ज करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त कम दर्ज किए गए बेसन के दुरुपयोग का उत्तरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त उक्त राशि की वसूली प्रचलित बाजारीय मूल्य से सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

40 मन्दिर न्यास द्वारा संचालित श्री शक्ति, संस्कृत महाविद्यालय के लेखाओं एवं वित्तीय स्थिति बारे अंकेक्षण टिप्पणियां:-

मन्दिर न्यास के लेखाओं अवधि 1.1.2014 से 31.12.2016 तक के अंकेक्षण के दौरान न्यास द्वारा संचालित श्री शक्ति, संस्कृत महाविद्यालय के लेखाओं के अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही, बैंक जमा व निवेश तथा वित्तीय स्थिति के बारे में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:-

- 1 रोकड़ बही व बैंक जमा के दिनांक 31.12.2016 के अन्त शेष में ₹17061 का अन्तर:- रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.12.2016 को रोकड़ बही में दर्शाया गया अन्त शेष इस दिन के बैंक बचत खातों व सावधी निवेश के अन्त शेष से ₹17061 कम है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र	विवरण	राशि
1	बैंक बचत खातों को दिनांक 31.12.2016 का अन्त शेष (परिशिष्ट – “ड-1”)	2774468.00
2	सावधि निवेश खाते का दिनांक 31.12.2016 का अन्त शेष (परिशिष्ट– “ड-2”)	274170.00
3	बैंक में दिनांक 31.12.2016 को जमा कुल राशि	3048638.00
4	दिनांक 31.12.2016 का रोकड़ बही का अन्त शेष	3031577.00
5	अन्तर	17061.00

अतः इस अन्तर का अतिशीघ्र मिलान किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

- 2 सावधि निवेश से प्राप्त हो सकने वाले अतिरिक्त ब्याज की हानि:— अंकक्षण अवधि 1.1.2014 से 31.12.2016 के दौरान छात्र निधियों में से कोई भी नई राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी जबकि **परिशिष्ट– “ड-1”** पर महाविद्यालय के बैंक खातों के बारे उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि बहुत सी निधियों में दिनांक 31.12.2016 को लाखों रुपये की बकाया राशियां निरर्थक पड़ी हैं जिन्हें अल्पावधि सावधि जमा में निवेश किया जा सकता था। उदाहरण के तौर पर ऐसी निधियां जिनका अन्त शेष दिनांक 31.12.2016 को एक लाख रुपये से अधिक है का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है:—

क्रम	निधि का नाम	अन्त शेष
1	क्रीड़ा युवा कलाएं एवं अवकाश गृह	274958.00
2	सत्र, कम्प्यूटर एवं स्काउट एण्ड गाईड	911152.00
3	पुस्तकालय शुल्क	165563.00
4	पत्रिका शुल्क	120791.00
5	पुस्तकालय वर्तन पुस्तिका शुल्क	107990.00
6	विवरण पुस्तिका शुल्क	110908.00
7	जुर्माना निधि	523870.00
8	पुस्तकालय प्रतिभूति	165564.00

अंकक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.12.2016 को भी सब निधियों का सामूहिक शेष ₹30,48,638 उपलब्ध था जिसमें से मात्र ₹274170 ही सावधि जमा में निवेश किए गए

हैं तथा बाकी ₹2774468 बचत खातों में ही पड़ी है। इन राशियों में से यदि सामयिक आवश्यकता की राशि के अतिरिक्त उपलब्ध राशि को अल्पावधि सावधि में निवेश किया जाता तो इन निधियों पर निश्चित रूप से ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती थी। परन्तु महाविद्यालय द्वारा यह राशियाँ केवल बैंक बचत खातों में रखने के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय से वंचित होना पड़ा है, जोकि महाविद्यालय में समुचित वित्तीय प्रबन्धन के अभाव को परिलक्षित करता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सामयिक आवश्यकताओं हेतु समुचित राशि को बचत खाते में छोड़कर उपलब्ध शेष को अल्पावधि सावधि जमा में निवेशित करना सुनिश्चित किया जाए ताकि महाविद्यालय को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

41 मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी द्वारा संचालित श्री शक्ति संस्कृत महाविद्यालय से ₹2.24 लाख का अनियमित भुगतान:-

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी द्वारा संचालित श्री शक्ति संस्कृत महाविद्यालय के अवधि 1.1.2014 से 31.12.2016 के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार महाविद्यालय द्वारा गृह परीक्षा निधि से ₹224388 का वार्षिक परीक्षाओं के आयोजन हेतु प्राध्यापकों को मानदेय व अन्य परीक्षा सम्बन्धी सामग्री हेतु व्यय किए गए थे, जो कि वास्तव में हि. प्र. विश्वविद्यालय द्वारा वहन किए जाने अपेक्षित थे। वाउचर फाइल में इस व्यय से सम्बन्धित बिलों की छाया प्रतियां ही उपलब्ध थी तथा मूल बिल हि. प्र. विश्वविद्यालय को वसूली हेतु प्रेषित किए गए हैं जो कि अंकेक्षण किए जाने तक वसूल नहीं हुए थे। वर्ष 2014 से अब तक इन राशियों की वसूली न हो पाना दर्शाता है कि महाविद्यालय प्रशासन इस प्रकरण में गंभीर नहीं है। अतः इस वसूली को इतने दिनों में न किए जाने वारे उचित व तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	दिनांक	वाउचरसंख्या	व्यय की गई राशि
1	21-05-2014	16	38473
2	3-09-2014	31	15958
3	16-01-2015	1	29957
4	21-05-2014	15	40000
5	20-07-2015	17	30000
6	12-01-2016	1	35000
7	28-11-2016	32	35000
		योग	224388

42 मन्दिर न्यास द्वारा संचालित श्री शक्ति, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के लेखाओं एवं वित्तीय स्थिति बारे अंकेक्षण टिप्पणियां:-

मन्दिर न्यास द्वारा संचालित श्री शक्ति, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के लेखाओं अवधि 1.1.2014 से 31.12.2016 के अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही, बैंक जमा व निवेश तथा वित्तीय स्थिति के बारे में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:-

- 1 **रोकड़ बही में मन्दिर न्यास को हस्तांतरित शुल्कों का अन्त शेष दर्शाए जाने बारे:-** रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए छः शुल्क जिनके दिनांक 31.12.2016 के अन्त शेष का कुल योग ₹11,24,314 था को रोकड़ बही में दर्शाया जा रहा है जबकि वास्तव में इस राशि में से मात्र ₹6,92,781 ही पाठशाला के पास हि. प्र. राज्य सह. बैंक श्री नैणादेवी जी में जमा किए गए सावधि निवेश के रूप में उपलब्ध है। चूंकि यह विद्यालय मन्दिर न्यास द्वारा संचालित है अतः इन शुल्कों को छात्रों से प्रप्ति के बाद न्यास को ही रसीद द्वारा हस्तांतरित कर दिया जाता है जिस कारण से इन शुल्कों के अन्त शेष को छात्र निधियों की रोकड़ बही में दर्शाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः इस बारे में अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही करते हुए रोकड़ बही में आवश्यक प्रविष्टियां सम्पूर्ण तथ्यों सहित करते हुए तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

	निधि का नाम	रोकड़ बही का शेष
1	प्रवेश शुल्क	29827
2	पुनः प्रवेश शुल्क	122
3	लेट फीस	16939
4	प्रमाणपत्र शुल्क	1960
5	ट्यूशन फीस	130580
6	भवन शुल्क	944886
	कुल योग	1124314

- 2 **भवन निधि के ₹6,92,781 के सावधि निवेश को न्यास के मुख्य खाते में हस्तांतरित न किए जाने बारे:-** न्यास द्वारा संचालित विद्यालय के छात्र निधियों की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि रोकड़ बही में दिनांक 31.12.2016 को भवन निधि में ₹9,44,886 को अन्त शेष दर्शाया गया है परन्तु इसमें से मात्र ₹6,92,781 ही पाठशाला के पास हि. प्र. राज्य सह. बैंक श्री नैणादेवी जी में जमा किए गए सावधि निवेश के रूप में उपलब्ध है जबकि शेष ₹2,52,105 मन्दिर न्यास को हस्तांतरित किए जा चुके हैं अतः इस सावधि निवेश को भी विद्यालय में

रखने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि पाठशाला भवन का समस्त निर्माण व रखरखाव मन्दिर न्यास द्वारा ही किया जाता है। अतः इस बारे में अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही करते हुए रोकड़ बही में आवश्यक प्रविष्टियां सम्पूर्ण तथ्यों सहित करते हुए अनुपालना से अंकक्षण को अवगत करवाया जाए।

3 रैड क्रॉस निधि के ₹2,16,717 के सावधि निवेश को न्यास के मुख्य खाते में हस्तांतरित न किए जाने बारे:-

न्यास द्वारा संचालित विद्यालय के छात्र निधियों की अंकक्षण जांच में पाया गया कि प्रधानाचार्य द्वारा सावधि निवेश के सन्दर्भ में उपलब्ध करवाई गई विवरणी में दिनांक 31.12.2016 को रैड क्रॉस निधि में ₹2,16,717 पाठशाला के पास हि. प्र. राज्य सह. बैंक श्री नैणादेवी जी में किए गए सावधि निवेश के रूप में उपलब्ध है जबकि इस राशि को पाठशाला की रोकड़ बही में नहीं दर्शाया जा रहा है। यह एक अति गम्भीर अनियमितता है। चूंकि रैड क्रॉस निधि वर्ष 2004 में सरकार द्वारा समाप्त की जा चुकी है अतः इस सावधि निवेश को भी विद्यालय में रखने को कोई औचित्य नहीं है। अतः इस बारे में अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही करते हुए इस राशि को मन्दिर न्यास के मुख्य खाते में हस्तांतरित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4 पत्रिका निधि के अन्त शेष में ₹353 के अन्तर का पाया जाना:-

न्यास द्वारा संचालित विद्यालय के छात्र निधियों की अंकक्षण जांच में पाया गया कि प्रधानाचार्य द्वारा सावधि निवेश तथा बैंक खातों के सन्दर्भ में उपलब्ध करवाई गई विवरणी में दिनांक 31.12.2016 को पत्रिका निधि के बैंक बचत खाता संख्या 11510103186 में ₹7399 का शेष दर्शाया गया है जबकि उस दिन रोकड़ बही में इस निधि का अन्त शेष ₹7046 है जो कि ₹353 कम है। इस अन्तर का कारण बैंक द्वारा इस बचत खाते को फ्लैक्सी फिक्सड डिपॉजिट में डालने के कारण दिया गया ब्याज है जिसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया था। अतः इस बारे में अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही करते हुए रोकड़ बही में आवश्यक प्रविष्टि करते हुए तदनुसार अनुपालना से अंकक्षण को अवगत करवाया जाए।

43 मन्दिर न्यास द्वारा संचालित व० मा० पा० नयना देवी में परीक्षा निधि व पत्रिका निधि से किए गए क्रय में अनियमितताएं :-

जाँच के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार मन्दिर न्यास द्वारा संचालित व० मा० पा० श्री नयना देवी में विभिन्न मासों के दौरान परीक्षा निधि से गृह परीक्षाओं से हेतु उत्तरपुस्तिकाओं व पत्रिका निधि के पत्रिकाएं क्रय करने के रूप में ₹29230 का व्यय किया गया था।

क्रम सं.	निधि का नाम	वाऊचर संख्या	दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय सामान का विवरण	राशि
1	परीक्षा निधि	8	8-07-14	मै० नयना बुक इंटरनेशनल, नयना देवी	उत्तरपुस्तिकाएं एवं स्टेशनरी	5270
2	परीक्षा निधि	8	25-07-15	मै० रमा बुक स्टोर, बस स्टैंड ऊना	उत्तरपुस्तिकाएं एवं स्टेशनरी	5430
3	परीक्षा निधि	6	26-06-16	मै० रमा बुक स्टोर, बस स्टैंड ऊना	उत्तरपुस्तिकाएं एवं स्टेशनरी	7370
4	पत्रिका निधि	2	5-05-14	मै० हरिंदर सिंह, स्वारघाट	पत्रिकाएँ	5800
5	पत्रिका निधि	12	7-09-15	मै० संजीव पब्लिकेशन, बसोली, ऊना	पत्रिकाएँ	5360
					योग	29230

उपरोक्त उल्लेखित व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ हैं, जिनका निराकरण किया जाए।

i) उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 3 पर उल्लेखित उत्तरपुस्तिकाएं एवं स्टेशनरी को क्रय करने से पूर्व आवश्यक एवं निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई हैं अर्थात् निविदाएँ आमंत्रित नहीं की गई हैं। निविदाओं के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि उक्त सामान का क्रय न्यूनतम दरों पर किया गया। अतः उक्त सामान को क्रय करने से पूर्व आवश्यक एवं निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के का औचित्य स्पष्ट किया जाए व

भविष्य में सामान को क्रय करने से पूर्व आवश्यक एवं निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरांत ही क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

ii) उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 5 पर उल्लेखित क्रय किए गए सामान को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्रविष्टियों करने उपरान्त खपत नहीं दर्शाई गई है। अतः उक्त क्रय सामान की खपत/ जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

44 औसत तेल की खपत का निर्धारण न करना:-

मन्दिर न्यास द्वारा वाहनों की औसत तेल खपत का सक्षम अधिकारी से निर्धारण नहीं करवाया गया। जबकि नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष औसत तेल की खपत निर्धारित की जानी अपेक्षित होती है तथा निर्धारित औसत खपत को अगले वर्ष या आगामी टेस्ट चैक (जो भी पहले हो) तक बनाये रखना अपेक्षित होता है। अतः वाहनों की औसत तेल खपत निर्धारित न करवाये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दर्शाई जाए। इसके अतिरिक्त यदि निर्धारित औसत वास्तविक खपत से कम पाई जाती है तो अधिक तेल की खपत की गणना न्यास स्तर पर करके अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्रोत से की जाये।

45 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना:-

अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना नहीं की गई है, जबकि नियमानुसार स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापना की जानी अपेक्षित थी। अतः नियमों के अनुरूप प्रत्येक वर्ष स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना करवा कर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से प्रत्यक्ष सत्यापना की जानी सुनिश्चित की जाए।

- 46 लघु आपति विवरणिका :- यह अलग से जारी नहीं की गई है।
47 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं० 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्या:— फिन (एल०ए०) एच (2)सी 15(14) 188 / 96 खण्ड—11—4766—4769 दिनांक—10.07.
2018 शिमला—09

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- पंजीकृत 1 मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी तहसील श्री नयना देवी जी, जिला बिलासपुर (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 उपायुक्त बिलासपुर एवं आयुक्त मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी, जिला बिलासपुर (हि०प्र०)
3 निदेशक, (भाषा एवं संस्कृति विभाग)हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—171009
4 अतिरिक्त मुख्य सचिव, (भाषा एवं संस्कृति विभाग)हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला—2

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं० 0177—2620881

परिशिष्ट – (क) पैरा संख्या “1-घ” से संदर्भित

(1) लेखा प्रतिवेदन अवधि 17-12-85 से 31-12-95

- | | | | |
|---|-----------------|------------------|--|
| 1 | पैरा – 5 (ग)(1) | निर्णीत | स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या:
फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-
1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा |
| 2 | पैरा – 5 (ग)(2) | अनिर्णीत | |
| 3 | पैरा – 5 (ग)(3) | अनिर्णीत | |
| 4 | पैरा – 5 (घ) | निर्णीत | स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या:
फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-
1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा |
| 5 | पैरा – 29 (क) | आंशिक
निर्णीत | स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या:
फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-
1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा |
| 6 | पैरा – 29 (घ) | अनिर्णीत | |

(2) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/96 से 12/97 व 1/99 से 12/99

- | | | | |
|---|--------------------|------------------|---|
| 1 | पैरा – 11 | अनिर्णीत | |
| 2 | पैरा – 174 (क) (2) | आंशिक
निर्णीत | स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र
संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 –
खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा |

(3) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2004 से 12/2004

- | | | | |
|---|-----------|---------|---|
| 1 | पैरा – 33 | निर्णीत | स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र
संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 –
खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा |
|---|-----------|---------|---|

(4) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2005 से 12/2005

- | | | | |
|---|-----------|----------|---|
| 1 | पैरा – 21 | अनिर्णीत | |
| 2 | पैरा – 24 | निर्णीत | स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र
संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 –
खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा |

(5) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1-01-06 से 31-12-07

1 पैरा – 29 अनिर्णीत

(6) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1-01-2008 से 31-12-2009

1	पैरा – 7	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
2	पैरा – 15	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
3	पैरा – 22	निर्णीत	₹1228 की वसूली के सत्यापन के पश्चात निर्णीत
4	पैरा – 31	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
5	पैरा – 33	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
6	पैरा – 35	अंशत निर्णीत	

(7) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.01.10 से 31.12.11

1	पैरा – 5 (ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा – 21	अनिर्णीत	
3	पैरा – 26(ग)(i)	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14)

			186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
4	पैरा – 27(घ)	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
5	पैरा – 28(छ)	अनिर्णीत	

(8) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.01.12 से 31.12.13

1	पैरा – 3	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.) एच (2) सी (15) (14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
2	पैरा – 4 (क)	निर्णीत	पुनः प्रारूपित पैरा संख्या 4 (क)
3	पैरा – 4(ख)	निर्णीत	पुनः प्रारूपित पैरा संख्या 4 (ख)
4	पैरा – 4(ग)	निर्णीत	पुनः प्रारूपित पैरा संख्या 4 (ग)
5	पैरा – 4(घ)	निर्णीत	पुनः प्रारूपित पैरा संख्या 4 (घ)
6	पैरा - 5 (क)	निर्णीत	पुनः प्रारूपित पैरा संख्या 5 (क)
7	पैरा – 5(ख)	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
8	पैरा – 5(ग)	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
9	पैरा – 6(क)	निर्णीत	पुनः प्रारूपित पैरा संख्या 6 (क)
10	पैरा – 6(ख)	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.) एच (2) सी (15)

			(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
11	पैरा –7	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
12	पैरा –8	अनिर्णीत	
13	पैरा –9	अनिर्णीत	
14	पैरा –10	अनिर्णीत	
15	पैरा – 11(क)	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
16	पैरा – 11(ख)	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
17	पैरा –12	अनिर्णीत	
18	पैरा –13	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
19	पैरा –14 (क)	अनिर्णीत	
20	पैरा –14 (ख)	अनिर्णीत	
21	पैरा –14 (ग)	अनिर्णीत	
22	पैरा –14 (घ)	अनिर्णीत	
23	पैरा –14 (.ड)	अनिर्णीत	
24	पैरा –15	अनिर्णीत	
25	पैरा –16	अनिर्णीत	

26	पैरा –17	निर्णीत	की गई अपेक्षित कार्यवाही के सत्यापन के पश्चात निर्णीत
27	पैरा –18	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
28	पैरा –19	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
29	पैरा –20	अनिर्णीत	
30	पैरा –21	अनिर्णीत	
31	पैरा –22	अनिर्णीत	
32	पैरा –23	अनिर्णीत	
33	पैरा –24(क)	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
34	पैरा – 24(ख)	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
35	पैरा – 24(ग)	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
36	पैरा – 24(घ)	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा

37	पैरा – 24(ड)	निर्णीत	की गई अपेक्षित कार्यवाही के सत्यापन के पश्चात निर्णीत
38	पैरा –24(च)	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
39	पैरा –24(छ)	निर्णीत	की गई अपेक्षित कार्यवाही के सत्यापन के पश्चात निर्णीत
40	पैरा –24(ज)	निर्णीत	की गई अपेक्षित कार्यवाही के सत्यापन के पश्चात निर्णीत
41	पैरा –24 (झ)	निर्णीत	की गई अपेक्षित कार्यवाही के सत्यापन के पश्चात निर्णीत
42	पैरा –24(ण)	निर्णीत	की गई अपेक्षित कार्यवाही के सत्यापन के पश्चात निर्णीत
43	पैरा –25	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
44	पैरा –26(क)	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
45	पैरा –26(ख)	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
46	पैरा –26(ग)	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा

47	पैरा – 26(घ)	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
48	पैरा – 26 (ड.)	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
49	पैरा –27	निर्णीत	रूपये 330/- की वसूली के सत्यापन के पश्चात निर्णीत
50	पैरा –28	निर्णीत	पुनः प्रारूपित पैरा संख्या – 37
51	पैरा –29	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
52	पैरा –30	निर्णीत	की गई अपेक्षित कार्यवाही के सत्यापन के पश्चात निर्णीत
53	पैरा –31	अनिर्णीत	
54	पैरा –32	अनिर्णीत	
55	पैरा –33	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
56	पैरा –34	निर्णीत	पुनः प्रारूपित पैरा संख्या – 44
57	पैरा –35	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
58	पैरा –36 (क)	अनिर्णीत	
59	पैरा –36 (ख)	अनिर्णीत	

60	पैरा –36 (ग)	अनिर्णीत	
61	पैरा –36(घ)	अनिर्णीत	
62	पैरा –36(.ड.)	अनिर्णीत	
63	पैरा –36(च)	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
64	पैरा –36(छ)	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
65	पैरा –37(क)	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
66	पैरा –37(ख)	अनिर्णीत	
67	पैरा –37(ग)	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
68	पैरा – 38(क)	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
69	पैरा – 38(ख)	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा

70	पैरा – 38(ग)	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
71	पैरा – 38(घ)	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
72	पैरा – 38(ड)	निर्णीत	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)(14) 186/96 – खण्ड – 11-1025 दिनांक 15-02-2017 द्वारा
73	पैरा – 39	निर्णीत	पुनः प्रारूपित पैरा संख्या- 45

अनिर्णीत पैरो का सार

अन्तशेष	96
लगाए गए पैरे	43
निर्णीत पैरे	61
अन्तशेष	78